अनुक्रमणिका

अध्याय – 1	पंचायती राज व्यवस्था : एक परिचय	पृष्ठ
अध्याय – 2	पंचायती राज में महिला–आरक्षण	पृष्ठ
अध्याय – 3	आर्थिक शोषण	पृष्ठ
अध्याय – 4	महिला सरपंचों के खिलाफ पारित हुए अविश्वास प्रस्ताव	पृष्ठ
अध्याय – 5	जाति आधारित हिंसा के शिकार	पृष्ठ
अध्याय – 6	भु–माफिया / उघोगपतियों का हस्तक्षेप	पृष्ठ
अध्याय – 7	आर्थिक शोषण	पृष्ठ
अध्याय – 8	पारिवारिक परम्परा	पृष्ठ
अध्याय – 9	राजनैतिक प्रतिद्वेषता	पृष्ठ
अध्याय – 10	सरपंच एक मोहरे के रूप में	पृष्ठ
अध्याय – 11	निर्ष्कष एंव सुझाव	पृष्ठ

प्रथम अध्याय

पंचायती राज व्यवस्था

एक परिचय :

''पंचायती राज व्यवस्था'' भारतीय शासन व्यवस्था का अद्‌भुत अभिलक्षण है। भारत में प्राचीन काल से आधुनिक युग तक पंचायती राज व्यवस्था का विशिष्ट रूप प्रकट होता है। जन–जन को शासन की गतिविधियों में सक्रिय सहभागी बनाये जाने के दृष्टिकोण पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था का 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में उद्‌घोष किया गया। 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विधिक संस्तर प्रदान किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय समग्र विकास का महत्वपूर्ण अभियंत्र रहा है।

लोकतंत्र मानव गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता, राजनीतिक निर्णयों में जन भागीदारी के कारण शासन का श्रेष्ठतम रूप माना जाता हैं लोकतंत्र राजनीतिक परिस्थिति या शासन चलाने की पद्धति मात्र नहीं है अपितु यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिति भी है। लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन, एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था एक विरोधी मनोवृत्ति एवं जीवन जीने की विशिष्ट पद्धति भी है। लोकतंत्र का आधार शासन में जन सहभागिता के साथ ही शासन का निम्न स्तर तक विकेन्द्रीकरण है, उसी भावना का साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई है। पं. जवाहर लाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के प्रणेता थे। संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि ''हम लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र की स्थापना ही हमारा लक्ष्य है और उससे कम हम कुछ नहीं चाहते।''शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था कहा जा सकता हैं जिसमें जनता शासन शक्तियों का प्रयोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र व्यावहारिक होने के कारण विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का यही स्वरूप प्रचलित है।

73वें संविधान संशोधन एवं पचायती राज संस्थाओं का स्वरूप

73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जिला स्तर से नीचे संवैधानिक तौर पर शासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित किया गया है। संविधान में अंकित नीति निर्देशक सिद्धांत में जो स्वशासित ग्राम पंचायतों को स्थापित करने का उद्देश्य प्रतिपादित किया गया था, उस पर 45 वर्ष तक कोई कार्य नहीं हुआ था, इस भूल को अब सुधारा गया।और निम्न अनुच्छेद में इसे रखा गया है।

प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद 243(बी)– उपरोक्तानुसार राज्यों को न केवल गांवों के लिये परन्तु जिला स्तर तथा जिले और गांवों के बीच के स्तरों के लिये भी एक स्वशासी संस्थाओं की तरह तीनों स्तर की पंचायतों का गठन करना वैधानिक अनिवार्यता बनाया गया। 20 लाख तक जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में ग्राम स्तर एवं जिला स्तर की पंचायतें गठित करना ही पर्याप्त माना। बीच के स्तर पर पंचायत गठन की अनिवार्यता नहीं रखी गई।

अनुच्छेद 243(सी)(2)–द्वारा तीनों स्तरों पर मतदाताओं द्वारा सीधे चुनाव कराना अनिवार्य किया गया। यह राज्यों की इच्छा पर छोड़ा गया कि ग्राम स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों को खण्डस्तर की पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जावे या नहीं, इसी प्रकार खंड स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों को जिला स्तर की पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जाये या नहीं। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा हो या, यह भी राज्यों के विवेक पर छोड़ा जाए।

अनुच्छेद 243(डी)– अनुसार तीनों स्तर पर सदस्यों एवं अध्यक्षों के पदों पर जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण अनिवार्य किया गया। प्रत्येक श्रेणी के पदों में एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित करना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ी जातियों हेतु आरक्षण तथा उसका प्रतिशत राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 243(ई)– द्वारा 5 वर्ष का अनिवार्य कार्यकाल रखा गया। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर पुनः निर्वाचन अनिवार्य किया गया। समय पर निर्वाचन की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य में गठित राज्य निर्वाचन आयोग को सुपुर्द की गयी।

73वें संविधान संशोधन द्वारा यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक मान्यता मिली जिसमें कमजोर वर्गों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। परन्तु उनके कार्यों एवं शक्तियों के बारे में शिथिल प्रावधान अनुच्छेद 243(जी) में कर दिया गया। इसके अनुसार राज्य विधान मंडल पंचायतों को विधान द्वारा विभिन्न स्तरों पर ऐसी शक्तियों एवं याचिका निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक है। ये शक्तियां एवं दायित्व निम्न संबंध में होंगें।

(क) आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजना बनाना।

(ख) ग्यारहवी अनुसूची में वर्णित विषयों को शामिल करते हुए आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं की क्रियान्विति।

243(एच) अनुसार पंचायतों को कर आदि लगाने की शक्ति भी दी जा सकेगी एवं अनुदान देय होगा। संसाधन बढ़ाने हेतु हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करने की भी अनिवार्यता रखी गई।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्य एवं शक्तियां:

73वें संविधान संशोधन ने ग्यारहवी अनुसूची बनाकर 29 विषय निर्धारित किये जो स्थानीय शासन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को देने उचित समझे। राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई कि ऐसे कार्य पंचायतों के सुपुर्द हो ताकि पंचायत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजना तैयार कर सके और केन्द्रीय एवं राज्य स्तर की सरकारी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन जन–सहभागिता के आधार पर करवा सके। यह तो कोई भी नहीं कह सकता कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय वांछित लक्ष्य नहीं हो सकते परन्तु इससे पंचायती राज संस्थाएं केवल सौंपे हुए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली संस्थाएं बनकर रह जाती है।इससे स्व–शासन का लाभ कमजोर पड़ गया। लम्बे समय से आधारभूत प्रश्न चला आ रहा था कि क्या उनका कार्य केवल विकास कार्यों तक की धारा 40 में ग्राम पंचायतों के लिये पूर्ण रूप से स्वशासन की कल्पना की गई थी। विकास की सीमित धारणा तो 1957 में बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट के साथ सामने आयी। 73वें संविधान संशोधन ने भी राज्य सरकार की स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया कि वे पंचायतों को स्व–शासन की विश्वसनीय संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिये क्या अधिकार और शक्तियां देने का निर्णय लेती है। 1993 एवं 1994 में संविधान संशोधन के बाद जो नये अधिनियम बने एवं संशोधन हुए, उनमें अधिकार एवं शक्तियों की सूची बनाते समय तो उदारता दिखाई गई।लेकिन बाद में शक्तियॉ सीमित कर दी गयी ।

पंचायत अधिकार एवं शक्तियां :

1. अनिवार्य नागरिक कार्य – स्वच्छता, रोशनी, ग्रामीण सड़कें, पेयजल स्रोत, कुएं, तालाब, टंकी, रख–रखाव, शमशान घाट, कोली हाउस, जन्म–मृत्यु पंजीकरण।
2. सामान्य कार्य : योजना, बजट बनाना, आबादी एवं चारागाहों पर अतिक्रमण रोकना, प्राकृतिक प्रकोप में सहायता कार्य, मेले, जन्म–मृत्यु पंजीकरण।
3. विकास कार्य : कृषि, पशुपालन, डेयरी, लघु सिंचाई, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, ईंधन एवं चारा विकास, पेयजल, ग्रामीण विकास आवास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, रोजगार योजनाएं, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, वृद्धावस्था एवं विधवा, विकलांग पेंशन, चिकित्सालय, परिवार कल्याण महिला एवं परिवार कल्याण महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण, कुटीर एवं गृह उद्योग।
4. अन्य : भूमि सुधार एवं न्याय संबंधी कार्य केवल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ही सुपुर्द किये गये हैं। अन्य किसी राज्य द्वारा नहीं।

दूसरा अध्याय

पंचायती राज में महिला–आरक्षण

जैसा कि ब्रिटिश शासन के काल में संपूर्ण भारतवासी ही दासता की बेड़ियों से जकड़े हुए थे, फिर स्त्रियों की स्वतंत्रता का तो प्रश्न ही कहां उठ खड़ा हो सकता था? लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ साथ देश की नारियों ने भी बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। जब भारत 1950 में गणतंत्र बना और इसे लिखित संविधान मिला तो प्रत्येक भारतवासी का, जिसमें निःसंदेह स्त्री भी शामिल है, राजनीति और सामाजिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के हर स्तर पर भागीदारी के अधिकार को बिना किसी भेदभाव के मान्यता मिली। लेकिन इसके बावजूद सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई। सच्चाई यही है कि चाहे राष्ट्रीय हो या स्थानीय स्तर, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी नगण्य ही रही। अधिकार मिल जाने मात्र से उनके उपभोग की समझ और क्षमता व्यक्ति में उत्पन्न नहीं हो पाती।

आजादी के बाद राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका और उनकी स्थिति पर विचार करने के बाद कमेटी ऑन द स्टेटस आफ विमेन ऑफ इण्डिया (1975) ने कहा था : ''समाज और राजनीति में महिलाओं की स्थिति बताती है कि संविधान में उन्हें पुरुषों के समकक्ष दर्जा देकर जिस क्रान्ति की आशा की गई थी, वह अब भी बहुत दूर है। ज्यादातर महिलाओं के पास अभी ऐसे प्रवक्ता नहीं हैं जो उनकी विशिष्ट समस्याओं को समझ सकें तथा राज्य की प्रतिनिधि संस्थाओं में उनकी विशिष्ट समस्याओं को उठाने और हल करने के प्रति समर्पित हों।''

लोकतंत्र के निचले स्तरों पर महिला–आरक्षण के पहले की स्थिति को देखें तो ज्ञात होगा कि जन–आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में महिलाऐं दिखाई तो दी है लेकिन संस्थागत स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी संख्या बहुत कम थी। जहां महिलाओं की भागीदारी पर्याप्त थी वहां भी वे प्रमुख पदों पर नहीं आ सकी। यदि वे किसी एक आध पद पर भी रहीं तो इससे महिलाओं के विकास के मुद्दे पर कोई खास असर नहीं पड़ा।

राजनीतिक पहलू पर किसी एक इन्दिरा गांधी, बेनजीर, गोल्डामायर माग्रेड थैचर या आंग–साक–सूकी का उभरना महज अपवाद है। अब तक शक्तिशाली राजनीतिक पदों पर महिलाओं का पहुंचना सिर्फ संयोग ही था, समाज उनकी पीड़ा के प्रति अभी भी संवेदनशून्य है। ऊंची मृत्युदर, छोटा जीवनकाल, खराब स्वास्थ्य, निरक्षरता हद से ज्यादा काम और शोषण आमतौर से यही महिलाओं के हिस्से में आया है।

स्वामी विवेकानन्द ने कितना उचित कहा था कि ''जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी का एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।

स्त्रियों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं और महता को सहानुभूतिपूर्वक समझना और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना और नीतियां बनाना कदाचित उस सत्ता द्वारा सम्भव नहीं है, जैसा कि अनुभव भी रहा है, जिसमें अधिकतर पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। स्त्रियां परिवार से और समाज से एक इकाई के रूप में और उसके एक अभिन्न अंग के रूप में जुड़ी है। देश के महिला–आंदोलन की लम्बे समय से यह मांग प्रबल रही कि औरतों को सही मायने में यदि बराबरी का दर्जा पाना है तो राजनीतिक मंचों पर और राजकाज के सभी स्तरों पर निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी रहे। यह सुनिश्चित करने के लिये

महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिलना बहुत जरूरी है। यही कारण रहा है कि 78वां संविधान संशोधन कर लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह संशोधन अधिनियम कई प्रकार से अद्वितीय है, परन्तु सम्भवतः इसका सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी पहलू आरक्षण 33 प्रतिशत तक किया गया। इसका अर्थ यह नहीं कि वे इससे अधिक की संख्या में निर्वाचित नहीं हो सकतीं। परन्तु आरक्षण की व्यवस्था किये बिना, घरबार छोड़कर और उनके प्रति अब तक रहे सामाजिक रवैये और रूढ़िवादी परम्पराओं के रहते बाहर राजनीति में हिस्सा लेना असंभव नहीं, तो कदाचित दुष्कर कार्य अवश्य था। पहली बात यह है कि बिना आरक्षण के वे स्वयं भी तो उन्हें परिवार के अन्य पुरुष सदस्य ऐसा करने से रोकते और उन्हें छदम लोकलाज का भय दिखाकर उनका दायित्व घर परिवार तक ही सीमित कर उन्हें उस अधिकार से वंचित कर देते, जो देश और समाज के कल्याण के लिये महत्व रखता है।

महिला आरक्षण की मांग एवं इसका इतिहास

हजारों वर्षों से सत्ता पर एकाधिकार पुरुषों का ही रहा है। उस अधिकार में से 50 या 33 तो क्या, एक प्रतिशत बांटना भी बड़ा कठिन काम है। लेकिन धीरे–धीरे परिस्थितियां और आवश्यकताएं मानवीय सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। हमारे देश की जनसंख्या में यूं तो पचास फीसदी स्त्रियां है, तथापि उनको मिले अधिकारों में निराशाजनक असमानताएं दिखाई देती है।

सन् 1920 में गांधीजी की कही गई बात आज भी कितनी सार्थक और प्रासंगिक है कि ''आजादी और प्रजातंत्र तब तक अधूरा है जब तक समाज के पिछड़े वर्गों को भी समृद्ध तबकों जैसे अधिकार नहीं मिल पाते।'' जाहिर है राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं से भी उनका तात्पर्य था। इसीलिये आजादी की लड़ाई में उन्होंने नारियों को भी जोड़ा। स्वतंत्रता–संग्राम में स्त्रियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। इससे उनमें राजनीति की कुछ समझ अवश्य पैदा हुई और वे अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनीं। परंतु आजादी के पश्चात् स्थितियां बदली। यद्यपि संविधान ने अधिकारों के मामले में स्त्री–पुरुष जैसा कोई भेदभाव नहीं रखा, परन्तु इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को अधिकार आदि के लिये आगे आने ही नहीं दिया गया। वास्तविकता में तो स्त्रियां पिछड़ती ही चली गईं।

आज महिलाओं को पंचायतों में 83 प्रतिशत आरक्षण सुलभ हो चुका है, लेकिन यहां तक पहुंचने का मार्ग इतना सीधा और आसान नहीं था। अधिकारों का सहज में मिल जाना और उन्हें हस्तगत कर सही अर्थों में उपयोग में लाना, दोनों के मध्य बहुत अन्तर था। आज हम जिस स्थिति तक पहुंचे हैं, और उसके पीछे की लम्बी कहानी पर एक विहंगम दृष्टि डाल लें तो देखने में आएगा कि

पहली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम कल्याणकारी योजनाओं तक ही सीमित थे। इन योजनाओं का लाभ अधिकतर उन स्त्रियों को हुआ जो प्रभुत्व समपन्न परिवारों से थीं या उनसे किसी तरह संबंधित थीं। निचले तबके की महिलाओं को इनसे अधिक लाभ नहीं मिल पाया।

छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में कल्याणकारी योजनाओं के स्थान पर विकास योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया। महिलाओं के विकास में सहायक बनने वाले कार्यों को हाथ में लिया गया।

उसके पश्चात् महिलाओं से संबंधित कलयाणकारी योजनाओं पर लम्बे समय तक विचार–विमर्श हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय महिलाओं के समान अधिकार के संबंध में गांधीजी के विचारों को सबसे अधिक अहमियत दी गई। तब यह अनुभव किया गया कि जब तक महिलाओं एवं पुरुषों को एक ही प्रकार के अधिकार नहीं मिलते तथा महिलायें आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होती, तब तक आजादी और प्रजातंत्र अधूरे हैं। व्यापक पैमाने पर हुए विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप 1988 में महिलाओं के लिये सन् 2000 की परिदृश्य योजना बनाई गई। इसमें मुख्य रूप से तीन बातों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। पहली यह कि महिलाओं को किस सीमा तक राजनीतिक अधिकार दिये जा सकते हैं, दूसरी उन्हें किस प्रकार आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सकता है और तीसरी कानून की दृष्टि से उन्हें कितने अधिकार दिये जा सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह उभर कर आई कि राजनीतिक पदों पर महिलाओं को जब तक एक तिहाई भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक राजनीतिक क्षेत्र में उनका सामने आना और आगे बढ़ना असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य होगा। इस योजना में निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत स्थानों को आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके अनुसार अगर शुरुआत में महिलायें पर्याप्त संख्या में निर्वाचित न हो पायें तो उनका मनोनयन या सहयोजन भी किया जा सकता है। देशभर के महिला संगठनों ने मांग की कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण रखा जाये और उन्होंने पिछड़े वर्ग की महिलाओं, विशेष रूप से दलित और आदिवासी महिलाओं को इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने पर बल दिया।

इससे पूर्व सन् 1975 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी समिति ने वैधानिक महिला पंचायतें स्थापित करने की सिफारिश की थी। पंचायतों का इतिहास गवाह है कि ज्यादातर राज्यों में इनमें गांव के सम्भ्रांत वर्गों और निहित स्वार्थों का कब्जा रहा है। कई राज्यों में वर्षो तक पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये गये। पंचायतों में एक या दो महिलाओं को मनोनीत करना महज औपचारिकता थी और इससे उनमें महिलाओं की भागीदारी किसी भी नजरिये से नहीं बढ़ी।

पूर्ववर्ती पंचायत व्यवस्था और महिलाएं :

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी हेतु 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् में यदि कोई महिला निर्वाचित न हो तो ऐसी दो महिलाओं का सहवरण किया जाय जो बच्चों और स्त्रियों के कार्य में रूचि रखती हों। ऐसा प्रावधान महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, कनार्टक, केरल, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों ने किया था। महिलाओं को सहवृत सदस्य बनाने का मतलब था कि महिला चुनाव लड़ने हेतु सक्षम नहीं है या कमजोर वर्ग की है। वास्तव में हुआ यह कि वे ही महिला सदस्य बनीं जो राजनतिक या समाज की दृष्टि से प्रभावशाली परिवारों

की थीं। अनुभवी या महिला बाल विकास में रूचि रखने वाली महिलाएं नहीं आ पाई। इस कारण महिलाओं की भागीदारी दिखावा मात्र होने से यह प्रयोग असफल साबित हुआ।

पंचायती राज में महिला आरक्षण – 73वें संविधान के परिप्रेक्ष्य में :

महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता का संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का श्रेय संविधान संशोधन विधेयक को जाता है। देश के लिये 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। यही नहीं महिलाओं के लिये यह आरक्षण पंचायत के पदाधिकारियों के पदों पर भी लागू हुआ है जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश की पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पदों यथा सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख इत्यादि पदों पर महिलाएं पदासीन हुई हैं।

राजस्थान में पंचायती राज विधेयक 1994 के अन्तर्गत महिला आरक्षण :

राज्य के पंचायती राज इतिहास में पहली बार समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिये सभी स्तर पर पर्याप्त आरक्षण किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में विकास संबंधी लिये जाने वाले निर्णयों में विशेषकर इन वर्गों के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है।

महिलाओं का प्रत्येक स्तर एवं पद के लिये कुल एक तिहाई आरक्षण निश्चित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के पद भी शामिल है। महिलाओं के आरक्षण के लिये लॉटरी पद्धति काम में ली जाती है। जहां तक जिला परिषदों में जिला प्रमुखों के लिये महिलाओं के आरक्षण का प्रश्न है, राज्य सरकार ने यह कानून बनाया है कि पहले प्रत्येक सम्भागीय स्तर पर जिला प्रमुखों के लिये लॉटरी निकाली जायेगी, जिससे कि राज्य के प्रत्येक सम्भाग में कम से कम एक महिला जिला प्रमुख निर्वाचित हो। बाकी सीटों का आरक्षण निश्चित करने के लिये उपयुक्त आरक्षित जिलों को छोड़कर शेष जिलों की लॉटरी निकाली जायेगी।

राजस्थान में महिला आरक्षण – एक दृष्टि में।

सारणी– 1

क्र.सं.	पद	कुल पद	महिलाओं के लिये आरक्षित
1.	सरपंच	9178	3072
2.	पंचायत समिति सदस्य	5256	1738
3.	जिला परिषद सदय	1008	337
4.	प्रधान	237	81
5.	जिला प्रमुख	32	11

स्रोत– राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से

इसके अतिरिक्त 27000 के लगभग महिला पंचों के लिये आरक्षण का प्रावधान है।

राजस्थान में पंचायतों के तीनों स्तरों के चुनाव जनवरी, 2005 तक सम्पन्न हो चुके हैं। राजस्थान जैसे प्रदेश में जो अपने पिछड़ेपन के लिये बहु प्रचारित हैं वहां सभी आरक्षित पदों पर महिलाओं ने चुनाव लड़ा और वे आज अपने–अपने पद पर आसीन होकर कार्य कर रही हैं। यह एक सुखद आश्चर्य है और महिला विकास की दृष्टि से एक क्रान्तिकारी परिवर्तन भी। यह एक अलग बात है कि कुछ स्थानों पर उपसरपंचों तथा अन्य सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरपंचों तथा इसी प्रकार प्रधानों को अपने पद से पदच्युत कर दिया है, जिसमें निःसंदेह महिला प्रतिनिधि भी शामिल है।

2005 में हुए पंचायती राज के चुनावों में 9178 ग्राम पंचायतों में सरपंच के चुनाव आयोजित किये गये। इन चुनावों में 49 प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग के लिये, 15 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग, 17 प्रतिशत अनुसुचित जाति व 19 प्रतिशत सीटे अनुसुचित जन जाति वर्ग के आरक्षित थी। सामान्य सीटों पर सबसे ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग लाभान्वित हुआ है इस वर्ग के 40 प्रतिशत सरपंच है। इसके बाद अनुसुचित जन जाति वर्ग से 22 प्रतिशत लोग विजयी हुए। (देखें सारणी –2)

सारणी– 2

आरक्षण की स्थिति व चयनित सिटों की स्थिति

वर्ग	आरक्षित सिटों की संख्या	चयनित सिटों की संख्या	प्रतिशत
सामान्य	**4482** (49%)	**1767** (19%)	**39%**
अन्य पिछड़ा वर्ग	**1355** (15%)	**3688 (40%)**	**272%**
अनुसुचित जाति	**1595** (17%)	**1692 (18%)**	**106%**
अनुसुचित जन जाति	**1746** (19%)	**2030 (22%)**	**116%**
योग	**9178**	**9177**	**100%**

स्रोत– राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से

महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। सरपंचों के चुनाव में कुल 9178 सीटों में से 3072 (33 प्रतिशत) महिलाओं के लिये आरक्षित है। इनमें 50 प्रतिशत सामान्य वर्ग महिला के लिये, 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग, 17 प्रतिशत अनुसुचित जाति व 19 प्रतिशत सीटे अनुसुचित जन जाति महिला वर्ग के आरक्षित थी।

सारणी– 3

महिलाओं के लिये आरक्षित सीटें व निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्यात्मक स्थिति

वर्ग	सीटों की संख्या	महिलाओं के लिये आरक्षित सिटों की संख्या	चयनित सिटों की संख्या
सामान्य	**4482** (49%)	**1529 (50%)***	**615 (18%)****
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	**1355** (15%)	**443 (14%)***	**1394 (42%)****
अनुसुचित जाति महिला	**1595** (17%)	**530 (17%)***	**590 (18%)****
अनुसुचित जन जाति महिला	**1746** (19%)	**570 (19%)***	**739 (22%)****
योग	9178	3072 (33%)	3338 (36%)

स्रोत– राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से

नोट– *** – महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों का प्रतिशत**

**** – चयनित महिलाओं की संख्या का प्रतिशत**

कुल सीटों में से 36 प्रतिशत सीटों पर महिला सरपंच चुनी गई। इनमें 18 प्रतिशत महिला सामान्य वर्ग की, 42 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 18 प्रतिशत महिला अनुसुचित जाति व 22 प्रतिशत महिलाएं अनुसुचित जन जाति से चुनी गई। (देखें सारणी –3)

सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 37 में यह प्रावधान दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ उसके काम, भ्रस्टाचार, सदस्यों के साथ आपसी व्यवहार आदि मुद्दों के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। पद ग्रहण के बाद 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त ही सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते है। प्रथम बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित न हो तो, एक वर्ष बाद ही अगला अविश्वास प्रस्ताव पेश हो सकेगा।

पंचायती राज संस्थाओं के अर्न्तगत ग्राम पंचायत के सरपंच या उपसरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वार्ड पंचों द्वारा लाया जा सकता है। दो तिहाई वार्ड पंच मिल कर जिला परिषद में सम्बन्धित सरपंच या उपसरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते है। इसके लिये उन्हे पर्याप्त कारण देने होते है। जिला परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के उपरान्त 30 दिन की समयावधि में जिला परिषद द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दोंनो पक्षों को सुनकर मतदान का निर्णय लिया जाता है। मतदान के उपरान्त यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जिला परिषद द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी कार्यवाहक सरपंच नियुक्त करता है तथा छः माह के अन्दर पुनः चुनाव की घोषणा करता है।

2001 में पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 37 में संशोधन किया गया कि 'किसी भी ग्राम पंचायत में यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता हैं तथा वह पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक सरपंच भी उसी वर्ग का होगा जिस वर्ग के लिये वह सीट आरक्षित/सरपंच जिस वर्ग का था, अन्य वर्ग का पंच कार्यवाहक सरपंच नही बन सकता।

राजस्थान में 2005 में हुए ग्राम पंचायतों के चुनावों के उपरान्त जनवरी 2007 से जून 2008 के मध्य तक 185 सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किये गये जिनमें से 66 अविश्वास पारित हुए। सरपंचों के खिलाफ पेश किये गये अविश्वास प्रस्तावों में 108 प्रस्ताव पुरुष सरपंचों के खिलाफ व 77 प्रस्ताव महिलाओं के खिलाफ पेश किये गये।

कुल पेश किये गये अविश्वास प्रस्तावों में लगभग 36 प्रतिशत अविश्वास पारित हुए। इनमें महिलाओं के खिलाफ 40 प्रतिशत व पुरूषों के खिलाफ 32 प्रतिशत प्रस्ताव पारित हुए।

सारणी– 4

जातिवार प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव का विवरण

वर्ग	महिला	पूरूष	योग
अनु.जाति	**20 (26%)**	**18 (17%)**	**38 (21%)**
अनु.जन जाति	**24 (31%)**	**33 (31%)**	**57 (31%)**
ओ.बी.सी.	**19 (25%)**	**33 (31%)**	**52 (28%)**
सामान्य	**14 (18%)**	**24 (22%)**	**38 (21%)**
कुल योग	**77**	**108**	**185**

स्रोत– पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध सूचनाओं से

कुल अविश्वास प्रस्तावों में 31 प्रतिशत प्रस्ताव अनुसूचित जन जाति की महिला व पुरूष सरपंचों के खिलाफ प्राप्त हुए। 28 प्रतिशत ओ.बी.सी. वर्ग (25 प्रतिशत महिलाएं व 31 प्रतिशत पूरूष) अनुसूचित जाति वर्ग 21 प्रतिशत (26 प्रतिशत महिलाएं व 17 प्रतिशत पूरूष) व 21 प्रतिशत सामान्य वर्ग (18 प्रतिशत महिलाएं व 22 प्रतिशत पुरूष) के सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुए। (सारणी – 4)

पारित हुए अविश्वास प्रस्तावों का विश्लेषण

जून 2008 तक राज्य में 185 सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विभिन्न पंचायतों में पेश किये गये। इनमें सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव अनुसूचित जन जाति के सरपंचों (57 प्रस्ताव) के खिलाफ पेश किये गये तथा सबसे कम प्रस्ताव पारित हुए वहीं अनुसूचित जाति के सरपंचों के खिलाफ सबसे कम (38 प्रस्ताव) प्रस्ताव पेश किये गये परन्तु सबसे अधिक (21 प्रस्ताव) प्रस्ताव पारित हुए। अनुसूचित जन जाति के सरपंचों विरूद्ध पेश 57 प्रस्तावो में से 28 प्रतिशत (16 प्रस्ताव) प्रस्ताव पारित हुए। जिनमें 8 महिला सरपंच व 8 पूरूष सरपंच शामिल थे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सरपंचों के खिलाफ 52 प्रस्ताव पेश किये गये इनमें 31 प्रतिशत (16 प्रस्ताव) प्रस्ताव पारित हुए। जिनमें 8 महिला सरपंच व 8 पूरूष सरपंच शामिल थे। अनुसूचित जाति के सरपंचों के खिलाफ 38 अविश्वास प्रस्ताव पेश किये गये इनमें 55 प्रतिशत (21 प्रस्ताव) प्रस्ताव पारित हुए। जिनमें 10 महिला सरपंच व 11 पूरूष सरपंच शामिल थे। (सारणी – 5 व 6 से)

सारणी– 5

पारित हुए अविश्वास प्रस्तावों का विवरण

वर्ग	**जातिवार प्राप्त अविश्वास का विवरण**	**पारित हुए अविश्वास प्रस्तावों का विवरण**	**प्रतिशत**
अनु.जाति	38	21	**55%**
अनु.जन जाति	57	16	**28%**
ओ.बी.सी.	52	16	**31%**
सामान्य	38	13	**34%**
योग	**185**	**66**	**36%**

स्रोत– पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध सूचनाओं से

अनुसूचित जाति की 20 महिला सरपंचों के विरूद्ध पेश किये अविश्वास प्रस्ताव में 10 प्रस्ताव पारित हुए। इनमें 6 सरपंच अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिये आरक्षित सीटों पर चूनी गई थी तथा 4 सीटें सामान्य वर्ग की थी जिन पर अनुसूचित जाति की महिला सरपंच चुनी गई, जिन्हे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से

हटा दिया गया। अनुसूचित जन जाति 24 महिलाओं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किये गये इनमे से 8 प्रस्ताव पारित हुए इनमें 6 सरपंच अनुसूचित जन जाति महिला वर्ग के लिये आरक्षित सीटों पर चूनी गई थी तथा 2 सीटें सामान्य वर्ग की थी। अन्य पिछड़ा वर्ग की 19 महिलाओं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किये गये इनमे से 8 प्रस्ताव पारित हुए इनमें 6 सरपंच सामान्य महिला वर्ग के लिये आरक्षित सीटों पर चुनी गई थी।

सारणी– 6

पारित हुए अविश्वास प्रस्तावों का विवरण

वर्ग	महिला	पूरूष	योग
अनु.जाति	**10 (32%)**	**11 (31%)**	**21 (32%)**
अनु.जन जाति	**8 (26%)**	**8 (23%)**	**16 (24%)**
ओ.बी.सी.	**8 (26%)**	**8 (23%)**	**16 (24%)**
सामान्य	**5 (16%)**	**8 (23%)**	**13 (20%)**
योग	**31**	**35**	**66**

स्रोत– पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध सूचनाओं से

जिलेवार पारित हुए अविश्वास प्रस्तावों का विश्लेषण

जिलेवार पारित हुए अविश्वास प्रस्तावों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव चितौड़गढ जिले 10 पेश किये गये जिनमें से 5 पारित हुए। करौली जिले मे 5 पेश किये गये जिनमें से 4 पारित हुए। उदयपुर जिले में 5 पेश किये गये जिनमें से 1 पारित हुआ। कोटा जिले में 5 पेश किये गये जिनमें से 1 पारित हुआ।

सारणी– 7

जिलेवार प्राप्त हुए व पारित हुए अविश्वास प्रस्तावों का विवरण

		सरपंच		पारित हुए अविश्वास प्रस्तावों का विवरण								
				अनु.जाति		अनु.जन जाति		ओ.बी.सी.		सामान्य		कुल
क्रम सं	जिला	प्राप्त	पारित	महिला	पूरूष	महिला	पूरूष	महिला	पूरूष	महिला	पूरूष	योग
1	**अजमेर**	6	3	1	0	0	0	0	0	0	2	**3**
2	**अलवर**	6	2	0	0	0	1	0	0	1	0	**2**
3	**बारां**	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
4	**बांसवाडा**	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
5	**बाडमेर**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	**भरतपुर**	9	4	0	1	0	0	0	1	1	1	**4**
7	**भीलवाडा**	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8	**बीकानेर**	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	**2**
9	**बून्दी**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10	**चितौड़गढ**	20	9	0	2	0	0	3	1	2	1	**9**
11	**चूरू**	3	2	1	0	0	0	1	0	0	0	**2**
12	**दौसा**	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
13	**धोलपुर**	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
14	**डूंगरपुर**	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
15	**श्रीगंगानगर**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
16	**हनुमानगढ**	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
17	**जयपुर**	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

18	**जेसलमेर**	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
19	**जालोर**	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20	**झालावाड़**	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**2**
21	**झुंझुनू**	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22	**जोधपुर**	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	**करौली**	10	7	1	2	1	0	1	1	1	0	**7**
24	**कोटा**	8	2	0	1	1	0	0	0	0	0	**2**
25	**नागौर**	5	3	1	1	0	0	0	1	0	0	**3**
26	**पाली**	8	3	0	0	0	0	2	0	0	1	**3**
27	**राजसमंद**	8	4	1	0	1	0	0	1	0	1	**4**
28	**सवाईमाधोपुर**	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
29	**सीकर**	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
30	**सिरोही**	7	3	0	1	1	1	0	0	0	0	**3**
31	**टोक**	8	5	1	0	0	1	1	0	0	2	**5**
32	**उदयपुर**	20	5	0	0	1	4	0	0	0	0	**5**
33	**योग**	**185**	**66**	**10**	**11**	**8**	**8**	**8**	**8**	**5**	**8**	**66**

अध्याय– 4

महिला सरपंचों के खिलाफ पारित हुए अविश्वास प्रस्ताव

पंचायतीराज की सबसे महत्वपूर्ण कडी ग्राम पंचायत है जिसका मुखिया सरपंच होता है सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। यह जनता के द्वारा चुना गया जन प्रतिनिधि होता है। ग्राम पंचायत स्तर में वार्ड पंचों का चुनाव भी ग्राम पंचायत के मतदाता द्वारा अपने अपने वार्ड के पंच का चुनाव करते है।

73 वें सविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं, अनूसुचित जाति व अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण व्यवस्था जिला प्रमुख, प्रधान, व सरपंच पंचायत समिति सदस्य ,जिला परिषद सदस्य व वार्ड पंच के चुनाव के लिए निर्धारित थी। उप जिला प्रमुख, उप प्रधान उप सरपंच के लिए आरक्षण की व्यवस्था नही है। इन पदों पर किसी भी वर्ग का सदस्य चुना जा सकता है।

पंचायत सरपंच का चुनाव सीधे जनता के द्वारा गैर दलीय आधार पर लडा जाता है, सरपंच का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से होता है। परन्तु ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रंस्ताव पंचो द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर सरपंच को अपने पद पर से त्याग पत्र देना होता है। अधिकांश समय सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जातीय आधार पर लाया जाता है या सरपंच की राशि के गबन के आरोप में लाया जाता है। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मुख्य रूप से निम्न कारणो से लाया जाता है।

1 अनुसूचित जाति व जन जाति होने के कारण
2 महिला होने के कारण
3 पंचायत की राशि गबन करने के आरोपो के कारण
4 आपसी रंजिश व द्वेषता के कारण

राज्य में जनवरी 2007 से लेकर जून 2008 के मध्य विभिन्न जिलो में 185 सरपंचो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये गये है इनमें 108 पुरूष व 77 महिलाएं थी। इनमें से 35 पुरूष एंव 31 महिला सरपंचो के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पारित हुये।

सरपंचों के खिलाफ सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव चित्तौगढ व उदयपुर में 20– 20 , करौली में 10, पाली, राजसमन्द, टोंक, झालावाड़ व बांसवाड़ा प्रत्येक में 8, जगहों पर प्राप्त हुये।

इनमें से चित्तौड में 9, उदयपुर में 5, करौली में 7, पाली में 3, टोक में 5, राजसमन्द में 4 सरपंचो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुये।

अध्ययन का उद्देश्य

सरपंचो के खिलाफ पारित हुये प्रस्ताव के अध्ययन मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यो को ध्यान में रखकर किया गया है।

- क्या यह प्रस्ताव जातिगत राजनीति के कारणो से लाया जाता है।
- उन कारणो का विश्लेषण करना जिनकी वजह से यह पारित हुआ।
- दलित व अनुसूचित जनजाति के सरपंच होने के कारण
- क्या महिला सरपंच होने के कारण
- क्या गबन के आरोपो में स्वयं सरपंच दोषी है।

अध्ययन का क्षेत्र

इस अध्ययन में 12 जिलों की 21 पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। जहां महिला जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुए है।

अध्ययन की विधा

अध्ययन में शामिल जिलो में उन सभी सरपंचो को शामिल किया गया जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। इस प्रकार 21 सरपंचो व एक उपसरपंच को अध्ययन में शामिल किया गया। इसके साथ दो उन महिला सरपंचों को भी अध्ययन में शामिल किया गया जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया परन्तु पारित नहीं हुआ। इसके तहत सरपंच के गॉव में जाकर सीधे तोर पर उनसे चर्चा की गई। ग्राम पंचायत के पंचो के साथ चर्चा की गई तथा ग्राम वासियो के साथ चर्चा कर अविश्वास प्रस्ताव के कारणों को विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। सारणी 7 में अध्ययन में शामिल महिला सरपंचों का विवरण दिया गया है।
इस अध्ययन में कुल 22 महिलाओं को शामिल किया गया जिनमें 21 सरपंच व एक उप सरपंच है। इनमें चार महिलाए सामान्य वर्ग की, सात महिलाए ओ.बी.सी. वर्ग की, पॉच –पॉच महिलाएं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की है। उपसरपंच ओ.बी.सी. वर्ग की है।

सारणी– 6
जिलेवार अध्ययन में शामिल महिला सरपंचो ंका विवरण

केस स्टेडी न.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	सरपंच की वर्ग	चयनित सरपंच का नाम	चयनित सरपंच का वर्ग	सरपंच की शिक्षा
1	अजमेर	अराई	सांपला	एस.सी महिला	कमला देवी	एस.सी	साक्षर
2	अलवर	नीमराना	जौनायच कला	सामान्य महिला	स्नेहलता	सामान्य	आठवी
3	प्रतापगढ़	अरनोद	भचुण्डला	एस.टी. महिला	नारायणी देवी मीणा	एस.टी.	साक्षर
4	चित्तौडगढ	बैंग	बरनियास	ओ.बी.सी. महिला	श्रीमति छऊ बाई कुमावत	ओ.बी.सी.	साक्षर
5	चित्तौडगढ	चित्तौडगढ	चिकसी	सामान्य महिला	श्यामु बाई	ओ.बी.सी.	साक्षर

					कुमावत		
6	चित्तौड़गढ	चित्तौड़गढ	सामरी	सामान्य	निर्मला देवी	सामान्य	साक्षर
7	चित्तौडगढ	डुंगला	देतवास	सामान्य महिला	लीला देवी नागदा	सामान्य	साक्षर
8	चूरू	सरदारशहर	साडासर	सामान्य महिला	भगवानी देवी	ओ.बी.सी.	साक्षर
9	जयपुर	जमवारामगढ़	राजपुर बास ताला	एस.टी. महिला	बाबुडी मीणा	एस.टी.	अशिक्षित
10	जयपुर	साभर	बासडी खूर्द	सामान्य महिला	चौथी देवी	ओ.बी.सी.	अशिक्षित
11	झालावाड़	बकानी	सलावद		रामकन्या लोधा (उपसरपंच)		साक्षर
12	झालावाड़	डग	रोझाना	एस.सी महिला	सरीता बाई	एस.सी	साक्षर
13	झालावाड़	झालरापाटन	झुमकी	एस.सी महिला	धापू बाई मेहर	एस.सी	अशिक्षित
14	कोटा	खैराबाद	कुदायला	एस.टी. महिला	सोहनी बाई	एस.टी.	अशिक्षित
15	कोटा	लाडपुरा	डोलिया	सामान्य महिला	जमना बाई	सामान्य	साक्षर
16	पाली	बाली	भीटवाडा	सामान्य महिला	आशा कंवर	ओ.बी.सी.	साक्षर
17	पाली	रायपुर	रेलडा	सामान्य महिला	मानी देवी रावत	ओ.बी.सी.	साक्षर
18	राजसमन्द	कुम्भलगढ़	बनोकडा	सामान्य महिला	दलुडी बाई	एस.टी.	अशिक्षित
19	राजसमन्द	रेलमगरा	सांसेरा	एस.सी महिला	बगदी बाई	एस.सी	साक्षर
20	टोंक	देवली	गेहरोली	अनु. जाति महिला	अनोखी देवी	एस.सी	साक्षर
21	टोंक	निवाई	नोहटा	सामान्य महिला	फूला देवी	ओ.बी.सी.	अशिक्षित
22	उदयपुर	झाडोल	आंचरौली	एस.टी. महिला	गंगा देवी	एस.टी.	साक्षर

अध्ययन की प्रक्रिया

इस पूरे अध्ययन में कहीं एक जैसी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। गांव में प्रवेश करने से लेकर लोगो से सम्पर्क करने तक परिस्थितियों के अनुसार लोगो से चर्चाएं की गई। फिर भी कुछ पूर्व में तय प्रक्रिया को अपनाया भी गया जिसमें पंचायत के उपसरपंच, सरकारी कर्मचारी जिनमें आंगनबाडी कार्यकर्ता, स्कूल अध्यापक, आदि से सम्पर्क किया गया। इसके साथ ही पूर्व सरपंच व वर्तमान सरपंच से चर्चा की गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 से 8 लोगो के साक्षात्कार लिये गये, गांव की चौपाल/चाय की दुकानों/मंदिर आदि जहां पर भी 5–6 लोगो का समूह मिला उनके बीच में जाकर लोगों से चर्चा की गई। जिस ग्राम पंचायत में महिला सरपंच रहती उस गांव व उसी ग्राम पंचायत के अन्य गांवों में जाकर लोंगो से चर्चाएं की गई। इन सभी 22 केस स्टेडी के दौरान 125 ग्रामवासीयों के साक्षात्कार लिये गये तथा लगभग 500 लोगो के साथ अनोपचारिक चर्चा की गई। 22 उपसरपंचों, 105 पंचो, 7 आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, 4 अध्यापको के साक्षात्कार लिये गये। 3 पंचायत समिति के विकास अधिकारियों व 4 प्रधानों के साथ चर्चा की गई।

साक्षात्कार के दौरान विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा गया कि सभी वर्गो के लोगो का प्रतिनिधित्व इसमें हो। साक्षात्कार में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई कुल 70 महिलाओं का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार के लिये व्यक्तियों का चुनाव रेण्डम पद्धति के आधार पर किया गया जिसमें पूरे गांव को ध्यान में रखते हुए लोगो का चयन किया गया।

प्रत्येक केस स्टेडी के दौरान गांव पंचायत से पंचायत के पंचों की सूची ली गई, तथा गांव जहा भी लोगों के समूह मिले उनसे चर्चा करके प्रारम्भिक जानकारिया एकत्रित की गई। साक्षात्कार के लिये कुछ उन पंचों को चुना जो सरपंच के पक्ष के थे तथा जो उसके विरोध में थे। इसी प्रकार ग्रामवासियो का चयन किया गया। कुछ जगहों पर जहां पंचायत का सहयोग नही मिला वहा सर्वेकर्ताओं ने स्वयं के प्रयासो से लोगों के साथ साक्षात्कार व चर्चा की गई।

द्वितीयक आंकडो का संकलन

प्रारभिक रूप में पूरे राजस्थान की जानकारी विधानसभा से सदस्य के द्वारा प्रश्न के माध्यम से एकत्रित की गई। समय–समय पर आवश्यकता पडने पर सूचना के अधिकार के तहत पंचायतीराज विभाग व राज्य निर्वाचन आयोग से सूचनाएं संकलित की गई। इसके अलावा राज्य सरकार की वेबसाईड से जानकारियां एकत्रित की गई।

केस स्टेडी का चुनाव

इस अध्ययन में मार्च 2008 तक पारित अविश्वास प्रस्तावों को शामिल किया गया है। प्रथम सूचना विधानसभा से प्राप्त उत्तर में शामिल सभी केसों को अध्ययन के लिए चुना गया। विधानसभा से प्रारम्भ में 18 महिलाओं की सुचना प्राप्त हुई जिनमें एक उपसरपंच थी। चितोडगढ में अध्ययन के दो केस की जानकारिया मिली जिसे भी अध्ययन में शामिल किया गया। दो केस राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना के आधार पर किया गया। अध्ययन के लिये केस का चुनाव करते समय क्षेत्र व जाति का भी ध्यान रखा गया।

अध्याय– 5

जाति आधारित हिंसा के शिकार

भारत एक गणतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र इसकी नींव है, और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। हमारे देश की राजनिति का सीधा प्रभाव गांव में पड़ता है। गावं के गलियारे से संसद भवन के गलियारे को हिलाया जा सकता है। पंचायतीराज को और ज्यादा सक्षम करनें के लिए हमारी ससंद ने भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिलाने के साथ ही इस पारम्परिक व्यवस्था को आवश्यक स्वशासन की एकरूपता और औपचारिक तंत्र का स्वरूप भी प्रदान किया गया है। ताकि उनके कार्यरूप को प्रभावी बनाया जा सके। इसी कड़ी में महिलाओं को प्रोत्साहन देनें हेतु एक तिहाई और अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

आरक्षण ने जहॉ एक तरफ महिला एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व को भी उभारा हैं, वहीं इसके अनचाहें परिणामस्वरूप चयनित महिला जन प्रतिनिधि के सामने मुश्किलें ज्यादा खड़ी हो गई है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि अभी तक पंचायत में जिन लोगों का प्रभाव, दबदबा व्याप्त था उनका सत्ता पर सीधा असर पड़ा। ग्राम पंचायत में ऊंची जाति एवं वर्ग के दबंग लोगों को सत्ता में यह परिर्वतन रास नहीं आया। उनके लिए यह अपमान एवं नीचा करनें वाली बात हो गई थी कि कोई छोटी जाति का उसमें भी एक महिला पंचायत की मुखिया बनें। इस परिस्थिति का इन लोगों ने एक ''नई संरचना'' बनाकर तोड़ निकालना चाहा। इन्होंनें इसे अपनें व्यवहार से दर्शाया अपनें कर्जदारों, दलित जो गरीब थें एवं आदिवासियों को मोहरा बनाकर सरपंच चुनाव के लिए खड़ा करवाया और अपनें हिसाब से कार्य करनें पर मजबूर किया और जहॉ ये लोग मजबूर नहीं हुऐं वहॉ पर इन्हें इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा हैं। कई बार सरपंचों पर दबाव बनाने के लिए उन्होनें प्रशासनिक अधिकारियों तक को मुखौटा बनाकर इन पर दबाव ड़ाला और दबानें का प्रयास किया।

इस प्रकार से दोहरी मार एवं असहयोगात्मक रवैयों से जनप्रतिनिधिं कहीं के नहीं रहतें हैं। इस तरह के हमें कई उदाहरण मिल जाएगें जिसमें उन्हें पता ही नही होता है कि उन्हें किन गलतियों की सजा मिल रहीं हैं। उनका आधा समय, ताकत, सम्पति, मानसम्मान और मजदूरी तक इन मामलों को लड़नें में खत्म हो जाती है। सिर्फ इसलिए कि उन्होनें तथाकथित बडें लोगों ऊंची जाति वालों की बात नहीं मानी और इस परिस्थिति में खासतौर से महिला सरपंच है तो उनकी स्थिति तो हद से ज्यादा बदतर होती है। हमारें इन केसों में कई ऐसे उदाहरण है। जिसमें आप पाऐंगें कि सरपचं

महिला है लेकिन पंचायत की बागडोर पति, सचिव , उपसरपंच, ठाकुर व पंच के हाथ में होती हैं जो हमेशा अपने फायदे के अनुसार कार्य करवातें हैं। हालात तो ऐसे हैं कि उनकी मर्जी के बगैर अंगुठा या हस्ताक्षर करवाकर राशि का दुरूपयोग करतें है। यह हमारें पंचायतीराज व्यवस्था का सबसे कटु सत्य है जिसमें महिलाओं और दलितों की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। महिला जनप्रतिनिधियों के प्रति हो रही हिंसा कों बदलती सत्ता के परिप्रेक्ष्य में समझना वांछनीय है। शुरू से ही जिस व्यवस्था में पुरूष एवं सामंती विचारधारा के लोगों का आधिपत्य रहा है उसमें किसी भी महिला एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधि का कार्य करना आसान नहीं है। निम्न उदाहरणों से आपको महिला एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही जाति आधारित हिंसा एवं सामन्ती विचारधारा के कारण अविश्वास मत के द्वारा कुर्सी को छोड़ना पडता है। रोझाना की महिला सरपंच व अन्य कई उदाहरण है जहॉ अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें सरपंच पद से हटा दिया गया।

नाम	:	सरिता बाई
जाति	:	अनुसूचित जाति
उम्र	:	35
ग्राम पंचायत	:	रोझाना
पंचायत समिति	:	डग
जिला	:	झालावाड़

सरपंच सरिता बाई जो कि पांचवी तक शिक्षा प्राप्त 35 वर्षीय दलित महिला थी। सरिता ने 31 जनवरी, 2005 को 363 मतों से विजयी होकर सरपंच पद की शपथ ली। पंचायत चुनाव में हार में लोगों ने शुरूआत से ही उसके विरूद्ध माहोल तैयार कर दिया पंचायत में सारी परिस्थितियां सरपंच के विरूद्ध थी यहां की विधायक, प्रधान व उपप्रधान भाजपा के है और सरिता कांग्रेस की दलित वर्ग की महिला है जो कि अपने विवेक से एवं गांव वालों की सहमति से सारे पंचायत के कार्य करती रही। विपक्ष को कभी अपने कार्यों में हस्तक्षेप के लिए मौका नहीं दिया। स्थानीय प्रभावशाली वर्ग था सरपंच के पद का उपयोग नही कर पाया विकास कार्यो में हस्तक्षेप नही कर सका, जो राशि हड़पना चाहता था उन्हें मौका नहीं दिया व उनकी राय नही ली तब उन्होंने अपना खेमा मजबूत किया और वहीं जो कि सामान्य कारण थे उन पर अविश्वास मत प्रस्ताव जिला परिषद में पेश किया और 30 मार्च, 2007 की उन्हें पद छोड़ना पड़ा।

एक दलित महिला हमको शिक्षा देगी ? प्रशासनिक अधिकारी, बी.डी.ओ. आदि के द्वारा भी सरपंच को दलित होने के कारण धमकाना इत्यादि वाक्यांश यह दर्शाते है कि समाज में अब भी दलितों की पीड़ा कम नहीं हुई है सरिता बाई के साथ यहां पर यही हुआ। उच्च वर्ग को यह कैसे सहन होता कि हमारी सरपंच दलित हो ! सरिता को इनकी वजह से अपनी ईमानदारी और दलित होने का परिणाम सरपंच के पद से हटकर देना पड़ा।

भु–माफिया / उघोगपतियों का हस्तक्षेप

गांव कि राजनीति में यह सुनना बड़ा आश्चर्य जनक लगता हैं, कि गांव कि राजनिति में भू– माफिया/ उघोगपतियों के द्वारा सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटवानें में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

जिस तीव्र गति से औद्योगिकीकरण हो रहा हैं वहॉ गांव भी अछुतें नहीं हैं। बड़े शहरों एवं राष्ट्रीय राजमार्गो के पास के गांवों में आजकल भू –माफिया अत्यधिक सक्रिय हैं यह पंचायत की जमीनों को सस्ती दरों पर खरीद कर अत्यधिक दरों पर बेचने का धन्धा करते हैं। जहॉ सरपंच इनके पक्ष का था वहॉ इन्होनें आसानी से रिश्वत का लालच देकर जमीन हथिया ली और जहॉ सरपंच नें एन.ओ.सी. देने से मना किया वहॉ इन्होंनें पहलें तो पैसों का लालच दिया तब भी नहीं माने तो धमकियां दिलवाई और फिर भी नहीं माननें पर उपसरपंच व पंचों को पैसों का लालच देकर अविश्वास प्रस्ताव मत हासिल करवा लिया और फिर अपनी पंसद का उम्मीदवार बना कर जमीनों का सौदा आसानीं से करवा दिया। इसमें एक प्रमुख सीमेन्ट कम्पनी नें भी इसी प्रकार से एक सरपंच को हटावा दिया जबकि सरपंच ने इसका विरोध इसलिए किया था कि ग्रम का वातावरण दुषित हो जाएगा, परन्तु उपसरपंच ने धन के लालच में उसे अविश्वास प्रस्ताव मत के द्वारा हटावा दिया।

अग्रलिखित उदाहरणों में हम पाएगें कि ईमानदारी का मूल्य अविश्वास प्रस्ताव मत के द्वारा मिला जहॉ पर पर्यावरण की भी अनदेखी कि गई।

नाम – स्नेहलता

जाति – सामान्य

ग्राम पंचायत – जौनायच कला

पंचायत समिति – नीमराना

जिला – अलवर

ग्राम पंचायत जौनायच कला राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 (जयपुर–दिल्ली) में नीमराना पंचायत समिति से 10 किमी दूर तथा शाहजहांपुर से 7 किमी दूर स्थित है। पांच गांवों की पंचायत की कुल जनसंख्या 5086 है जिसमें मतदाता 2500 है। गांव की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति सम्पन्न है, गांव में उच्च माध्यमिक स्तर तक का विद्यालय है। यहां पर कुल 9 वार्ड हैं इनमें से तीन वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है, 2 पंच सामान्य वर्ग से 1 अनुसूचित जाति एवं 6 अन्य पिछड़ा वर्ग से है।

38 वर्षीय स्नेहलता जो कि, आठवीं तक शिक्षा प्राप्त है एवं सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखती है। स्नेहलता जब 2005 के सरपंच के चुनाव में विजयी घोषित हुई थी तब उसने नहीं सोचा था कि 2

वर्ष बाद 3 अप्रेल 2007 को पद से हटा दिया जायेगा। 31 जनवरी 2005 को सरपंच पद ही शपथ लेते ही, गांव में बदहाल पीने के पानी, गलियां, नालियों की स्थिति सुधारने की इच्छा लेकर काम की शुरूआत की, स्वयं नियमित रूप से पंचायत की बैठकों में भाग लेती रही, पंचायत भवन जाकर बैठती थी, लोगों के साथ काम करती थीं, स्वयं के विवेक से निर्णय करती थी, आवश्यकता पड़ने पर अपने पति से राय भी लेती थी। स्नेहलता ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाएं जिनमें मंदिर की चार दीवारी सड़कों को पक्का करवाना, पंचायत भवन की चार दीवारी आदि महत्वपूर्ण काम रहे।

चूंकि गांव दिल्ली–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक है अतः इस गांव में भू–माफियों की नजर शुरु से ही रही है। पंचायत चुनाव में कुछ भू–माफिया अपनी हार से बोखलाए थे और उनके 2–3 पंच हमेशा सरपंच के विरुद्ध माहोल बनाये रखते थे। सरपंच स्नेहलता ने सदैव ईमानदारी से अपना कर्त्तव्य निभाया उसने भू–माफियों की जमीनें आवंटित नहीं होने दी। उनके स्वार्थों को सिद्ध नहीं होने से वह भी नाराज हो रहे थे। और तो और सरपंच ने एक विधवा जिसकी जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोग कब्जा करना चाहते थे, वो उसने नहीं होने दिया। ऐसे में भू–माफिया वर्ग काफी नाराज रहने लगा और स्नेहलता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए रणनीति बनाने लगा और अंतंत पैसे के जोर पर उन्होंने पंचों को खरीद लिया। ईमानदार महिला जो अपना कार्य भली भांति करती आ रही थी जिसे 3 अप्रेल 2007 को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया। ईमानदारी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई और स्नेहलता का साथ दे रहे उपसरपंच उसे भी 5 अप्रेल 2007 को पंचों ने हटा दिया।

नाम	–	निर्मला देवी
जाति	–	सामान्य
ग्राम पंचायत	–	सामरी
पंचायत समिति	–	चितौडगढ़
जिला	–	चितौडगढ़

ग्राम पंचायत सामरी, जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ एवं पंचायत समिति चितौड़गढ़ से 18 किमी दूर स्थित है। 9 गांव की पंचायत की कुल जनसंख्या 5500 है जिसमें 3050 मतदाता है।

निर्मला देवी जो कि 2005 के पंचायत चुनाव में सामान्य सीट से चुनाव लड़ी और विजयी रही, निर्मला देवी साक्षर है, इनके पति उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय के वरिष्ठ अध्यापक हैं। पति

हमेशा महिला के कार्यों में हावी होते हैं, यहां भी वही हुआ लेकिन एक सीमा तक, यहां उनके पति केवल बैठकों में साथ आते थे और जिला परिषद् की बैठक में छोड़ने तक का कार्य एवं कभी–कभी राय भी देते थे।

2005 फरवरी से अगस्त 2007 तक निर्मला देवी के कार्यकाल में कोई आपत्ति नहीं हुई लेकिन अगस्त 2007 के पश्चात बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री के क्रेशर लगाने के लिए आवश्यक अनापति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद प्रारम्भ हुआ। निर्मला देवी कम्पनी को एन.ओ.सी. नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि इससे गांव वालों को काफी परेशानी एवं नुकसान होगा। उपसरपंच एवं वार्ड मेम्बरों को सीमेंट फैक्ट्री ने धन एवं नौकरी का लालच देकर एवं जो तैयार नहीं थे उन्हें डरा–धमकाकर सरपंच के खिलाफ अविश्वास मत लाने को मजबूर कर दिया। साथ ही सचिव पटवारी भी सरपंच के कामकाजों में दखल करने लगे। ऐसे में 5 मई 2008 को सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 15 मई 2008 को सरपंच के खिलाफ अविश्वास मत प्राप्त करके हटा दिया। अब चार्ज उपसरपंच के पास है और तब से कम्पनी के क्रेशर का कार्य तीव्र गति पर चल रहा है।

निर्मला देवी साक्षर थी, समझदार थी, गांव के विकास के लिये कुछ अच्छा करना चाहती थी, गांव को प्रदूषण एवं जमीन को बचाने के चक्कर में विपक्ष में धन के लालच में अविश्वास पक्ष पेश किया।

ईमानदारी का परिणाम, भू–माफियों द्वारा धन–दौलत के बदोलत अविश्वास मत लाना और लोकतंत्र की हार हुई जो कि चंद रुपयों के लालच में एक ऐसी सरपंच को हटाया जो महिला आरक्षण का लाभ ईमानदारी से उठा रही थी, ओर आम जनता की हितेषी रही। यह वास्तव में ऐसा उदाहरण है जो कि महिलाओ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक षड्यंत्र रहा।

आर्थिक शोषण

आर्थिक शोषण का शब्द सुनकर आज कि राजनीति में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है । क्योंकि आज कल ज्यादातर लोग राजनीति में इसलिए आतें हैं कि थोड़ा धन कमाया जाऐ। लेकिन हमारें सामनें दो ऐसे उदाहरण हैं जहॉ सरपंच बनने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो गये।

- पहला केस हैं मानी देवी , पाली जिले से जो कि एक विधवा महिला है। और एक बेटा हैं जो कि टी.बी. की बीमारी से जूझ रहा हैं और मजदूरी करके अपना घर चलाता हैं। लोगों के कहने में सरपंच बनी 55 वर्षीय मानी देवी नें कभी यह नहीं सोचा होगा कि उसकी कुल 3 बीघा खेती योग्य जमीन में से1 बीघा सरपंची के चक्कर में बिक जाएगी। आज भी मानी देवी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कार्यो में जाकर अपना घर चला रही है।
- दूसरा केस है 40 वर्षीय फुला देवी , टोंक जिले से जो कि एक गडरिया परिवार से हैं। आज भी दोनों पति पत्नि भेडें चराकर अपना गुजारा करतें है। इनका आज भी यही कहना है कि सरपंच क्या करता हैं कौन होता हैं इसका हमें पता नहीं हैं हमें तों अपनी भेडों से फुरसत नहीं है। कुछ गांव वाले आये और कहा तुम सरपंच बन जाओ और हमारें 15000/– रूपयें भी खर्च करवा दियें और जीता कर वापस हटा भी दिया। लेकिन इन्हें 15000/– आज भी भारी लग रहें है।

इन दोनों ही उदाहरणो में हमनें देखा कि गांव वालो ने मोहरा बनाकर इन्हें उपयोग किया ऐसे में विपक्ष नें इन्हें अविश्वास प्रस्ताव मत के द्वारा हटा दिया और दोनों की जिन्दगी में मानों नया मोड़ आ गया था कि सरपंच मानी देवी को कोर्ट केस के चक्कर में अपनी 1 बीघा जमीन तक बेचनी पड़ी । आज भी दोनों ही परिवार उसकी भरपाई में लगें जिसका कारण वह नहीं थें। इस प्रकार से राजनिति के सर्कस में उच्च वर्ग हमेशा जो चाहता है वहीं अंजाम देता आया है।

नाम : मानी देवी
जाति : रावत
उम्र : 55
ग्राम पंचायत : रेलड़ा
पंचायत समिति : रायपुर
जिला : पाली

सरपंच मानी देवी 55 वर्षीय साक्षर महिला है। पति की तीस वर्ष पहले मृत्यु हो गई। घर की माली हालत ठीक नहीं है। बेटा टी.बी. का मरीज है। जब सर्वेकर्ता गांव में मानी देवी से मिलने गये तो वह राष्ट्रीय

रोजगार गारन्टी योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य पर मजदूरी करने गई हुई थी। तथा बेटा खेत पर काम कर रहा था।

2005 में पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी मुन्नी देवी के पति जो कि भूतपूर्व सरंपच थे अपनी पत्नि की हार बर्दाश्त नहीं कर सके उसने चुनाव में जब मानी देवी को सरपंच के पद पर विजयी घोषित किया गया तो वहां पर तोड़–फोड़ करवाई तथा मतपेटियां भी उठा ले गये थे। विभाग के निर्णय के विरूद्ध मुन्नी देवी ने जिला न्यायालय पाली में विभाग के निर्णय के विरूद्ध केस दर्ज करवा दिया, परन्तु 3 जून, 2006 को माननीय न्यायालय ने मानी देवी के निवार्चन को सही पाया, तथा उसे विजयी घोषित कर दिया। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वह वकीलों की फीस व अन्य खर्चों का इन्तजाम नहीं कर सकती थी अतः इस पूरी जंग को लड़ने के लिये उसने अपनी एक बीघा कृषि भूमि को बेचकर उसने अदालत के खर्च को उठाया तथा सरपंच बनने के बाद अपनी पहली लड़ाई जीती।

अदालत से विजयी होने के पश्चात् मानी देवी ने अपना कार्य बेटे के सहयोग से प्रारम्भ किया लेकिन हार से बोखलाये देवी सिंह इसकी जीत को हजम नहीं कर पा रहा था, तो उसने माहोल खराब करवाना शुरू कर दिया और 9 पंचों में से 7 को उसने अपनी ओर मिला लिया और मनगंडत कारण बनवाकर मानी देवी को 23 फरवरी 2007 को हटा दिया गया।

मानी देवी जो कि एक गरीब परिवार से थी परन्तु विरोधी पक्ष द्वारा सारे गलत तरीको को इस्तेमाल कर के मानी देवी को हटवा दिया। कुल 4 बीघा जमीन की मालिक मानी देवी ने अपने पद को बचाने के लियें 1 बीघा जमीन बेच कर अदालत से लडाई जीती परन्तु अविश्वास प्रस्ताव के कारण वह अपनी सरपंची को नहीं बचा सकी ।

नाम	:	आशा कंवर
जाति	:	राजपूत
उम्र	:	38
ग्राम पंचायत	:	मीटवाड़ा
पंचायत समिति	:	बाली
जिला	:	पाली

ग्राम पंचायत मीटवाड़ा जिला मुख्यालय से 75 किमी. दूर एवं पंचायत समिति बाली से 17 किमी. दूर स्थित है। सरपंच आशा कंवर 38 वर्षीय साक्षर महिला है। पति भी कक्षा 6 तक पढ़ा है। खेती–मजदूरी करके परिवार का पोषण करते है। गांव में ही अर्ध–कच्चा झोपड़ा हैं। स्वंय की 4–5 बीघा खेती योग्य जमीन है। 2004 में यह सीट सामान्य वर्ग की महिला के लिये आरक्षित थी। और आशा कंवर विजयी घोषित हुई। आशा कंवर सरपंच बनने के पश्चात स्वंय ही पंचायत का कार्य करती थी स्वंय के विवेक से निर्णय करती

थी और आवश्यकता पड़ने पर गांव के लोगों की मदद लेती थी। आशा कंवर के पास सिर्फ सरपंच की मोहर व उसका अंगुठा नहीं था, बल्कि उसका आत्मविश्वास था व मानसिक रूप से काफी मजबूत थी।किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको अच्छी तरह समझती थी आवश्यकता पड़ने पर अपने बेटे को या गांव के 70 वर्षीय सेवा निवृत अध्यापक श्री प्रताप सिंह राव को पढ़वाती थी। यह अध्यापक ही आशा कंवर के सलाहकार की भूमिका निभाते थे।

एक दलित जाति के पंच के अनुसार ''वह पहली सरपंच थी जो हमें अपने घर के अन्दर बिठाकर हमारी बात सुनती व हमारा काम करती थी उसमें जात–पात को कोई भेद नहीं था''।

तीन वर्ष तक सभी कार्य ठीक–ठाक ढंग से चले, परन्तु उपसरपंच जिसे यह सब सहन नही था वह स्वंय बी.ए.एल.एल.बी. था वह चाहता था कि कार्य उसके अनुसार हो। लेकिन सरपंच मानने को तैयार नहीं थी। सचिव जो कि उपसरपंच के साथ मिल गया इन दोनों ने मिलकर अविश्वास मत प्रस्ताव की साजिश रची और 8 मार्च, 2007 को आशा कंवर को पद त्यागना पड़ा।

अविश्वास प्रस्ताव के कारण वही रखे गये जो कि सभी नाम मात्र के लिए उचित थे और पंचों को अपने पक्ष में डरा धमका कर, लालच देकर आशा कंवर हो हटा दिया। इस पूरे प्रकरण में सचिव व उपसरपंच की भूमिका रही।

इस प्रकार एक ईमानदार सरपंच को हिस्ट्रीशीटरों ने हटवा दिया।

पारिवारिक परम्परा

कुछ लोगों नें राजनिति को अपना पारिवारिक हिस्सा मान लिया है। उनकी इज्जत व इसकों वह मूछं की शान मान लेतें है। क्योंकि आमतौर में जो गांव में आर्थिक रूप से सक्षम परिवार होता है वो हि राजनिति में भाग लेता आया है। इसमें प्रमुख रूप से गांव के ठाकुर, मुखिया,उच्च वर्ग या सामन्ती विचार वाले लोग रहें हैं। और इन्हें सत्ता में इस तरह का परिर्वतन रास नहीं आया तो इन्होनें इसके अपने विकल्प भी तलाश लिए जिसमें अपना उम्मीदवार कह कर अनुसूचित जाति / अनु.सूचित जन जाति व महिला को चुनाव में जितवा कर अपनें ही अनुसार कार्य करवाना शुरू रखा। ऐसे में कोई उम्मीदवार अगर राजनीति की चाल को अपनें अनुसार चलने ंलगा तो यह उनको असहनीय रहा और उन्होनें इसको अविश्वास प्रस्ताव मत के द्वारा हटवा दिया। इस तरह के उदाहरणों को देखकर लगता है कि राजनीति केवल उच्च वर्ग की रह गई है और हमारे ंसामने यह प्रश्न भी खडा करती है कि आखिर कब तक यह वर्ग अपनी ही राजनिति कायम रखेगा ?

अग्रलिखित उदाहरण जिनमें आपको यह देखनें को मिलेगा कि किस प्रकार से सत्ता के ठेकेदार अपना रास्ता बना देते है। निम्नलिखित वर्णित है–

नाम – कमला देवी

जाति – अनुसूचित जाति

उम्र – 45 वर्ष

ग्राम पंचायत – सांवला

पंचायत समिति – अराई

जिला – अजमेर

ग्राम पंचायत सांपला जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूरी पर एवं पंचायत समिति से 63 कि.मी. दूर स्थित है। इस ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 4000 है एवं कुल मतदाता 1980 है।

कमला देवी सांपला गॉव की एक निरक्षर महिला है। कमला का पति एक होशियार ठेकेदार है। 2004 के पंचायत चुनाव में आरक्षित सीट पर कमला देवी को सरपंच चुना गया था। कमला देवी के पति ही कमला देवी का कार्य देखते रहे एवं उपसरपंच जो कि महिला थी वह स्नातकोतर पास थी वह काम में सहयोग देती थी। लगभग डेढ वर्ष तक कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। जैसे–जैसे पंचायत में विकास कार्य ज्यादा आने लगे तो तीन–चार पंच कार्यों में दखलंदाजी करने लगे कि कमला देवी का पति भ्रष्टाचार कर रहा है, चूंकि एक कहावत है चोर–चोर मौसेरे भाई तो वह भी अपना हिस्सा लेने हेतु कार्यों में दखलंदाजी करने लगे। इस प्रकार कमला देवी की सरपंचाई ढीली पड़ने लगी, पंचों में अविश्वास बढ़ता गया ओर इसी का कारण रहा कि 4 मार्च 07 को अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद् में पेश किया गया और 24 मार्च को ग्राम

पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और कमला देवी को पद छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात् श्रीमती रेखा चौधरी (उपसरपंच) को कार्यवाहक सरपंच नियुक्त किया गया। 5 माह पश्चात् पुनः चुनाव हुए और गयारसी देवी मेघवंशी सरपंच चुनी गई।

कमला देवी स्वयं अपने अधिकारों का पूर्णतया प्रयोग भी नहीं कर पाई क्योंकि वह स्वयं निरक्षर थी, इसी कारण से उसके पति का मोहरा बनकर रही, उसके पति ने सरपंच के अधिकारों का गलत उपयोग किया जो कि आम जनता एवं पंचों में अविश्वास लाया और कमला देवी को पद त्यागना पड़ा। लोगों का कहना था कि पंचायत की बैठकों का नियमित आयोजन नहीं किया गया। कमला देवी बैठकों में भाग नहीं लेती थी। पति सारे कार्यों को देखता था, सरकारी योजनाओं की राशि का फर्जी तरीके से गबन करना एवं दलगत राजनीति का एवं प्रमुख दलों का असर रहा एवं सरपंच पति द्वारा झूठी फर्मदार वालों का भुगतान करना। साथ ही सरकारी नुमाइंदा ग्राम सेवक जो लापरवाही एवं भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया जिसे बाद में हटा दिया गया।

''सरपंच पति के हस्तक्षेप एवं कमला देवी की निरक्षरता के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई कमला देवी की राजनीतिक पहल।''

नाम	–	लीला देवी नागदा
जाति	–	ब्राह्मण
उम्र	–	40
ग्राम पंचायत	–	देलवास
पंचायत समिति	–	डुंगला
जिला	–	चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत देलवास जिला मुख्यालय से 70 किमी दूर तथा डूंगला पंचायत समिति से 20 किमी दूर स्थित है। देलवास गांव भौगोलिक रूप से चारों ओर से अरावली पहाड़ियों से घिरा इलाका है। सरपंच लीला देवी नागदा ब्राह्मण समाज की 40 वर्षीय साक्षर है। पति 12वीं पास है और पंचायत के पूर्व सरपंच भी रहे हैं और वर्तमान में कृषि कार्य करते हैं।

2005 के पंचायत चुनावों में यह पंचायत सामान्य वर्ग की महिला के लिये आरक्षित थी। गांववालों ने लीला देवी को उसकी अच्छी छवि की वजह से सरपंच के लिये चुन लिया। लीला देवी के पति सरपंच ही पंचायत का सारा कार्य देखते थे, यहां तक कि वह सारे हस्ताक्षर भी वहीं अपनी मर्जी से करते, लीला देवी पंचायत भी नहीं जाती थी। पति भा ज पा समर्थक थे और विपक्ष कांग्रेस समर्थक इससे दलगत राजनीति भी काफी हावी हो गई, यहां तक सरपंच पति ने पंच के साथ मारपीट भी की और विकास कार्यों में मनमानी की गई। ऐसे में 9 वार्ड पंचों ने उपसरपंच के नेतृत्व में 8 ने सरपंच के खिलाफ 14 फरवरी 2007 को अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद में पेश किया गया। जिसमें 8 पंचों ने हस्ताक्षर किये, 28 फरवरी 2007 को अविश्वास

प्रस्ताव पारित हुआ। सरपंच पति के कार्यों में पूर्णतय हस्तक्षेप विकास कार्यों में भ्रष्टाचार व ग्राम पंचायतों के कामों का वित्तीय व सामाजिक अंकेक्षण समय पर नहीं करवाया तो अविश्वास मत लाया गया परंतु सरपंच पति के सक्रिय राजनीति दांवपेचों के कारण अदालत में स्थगन आदेश लाना और पद पर बना रहना। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहां महिला केवल एक मोहरा है जिससे उसका पति जैसा चाहे वैसा करवा रहा है।

नाम	:	भगवानी देवी
जाति	:	जाट
उम्र	:	45
ग्राम पंचायत	:	साड़ासर
पंचायत समिति	:	सरदार शहर
जिला	:	चूरू

ग्राम पंचायत साड़ासर, सरदार शहर से 40 किमी. दूर पर हनुमानगढ़ रोड़ पर स्थित है। गांव की कुल जनसंख्या 6000 के लगभग है और 3200 मतदाता है। सरपंच भगवानी देवी जो कि 45 वर्षीय साक्षर महिला है। पति पूर्व पटवारी और सरपंच रह चुके थे। 2005 के पंचायत चुनावों में यह सीट ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित थी और ओ.बी.सी. से श्रीमति भगवानी देवी सरपंच चुनी गई।यहां भी भगवानी देवी के पति जो कि पूर्व सरपंच थे इस बार 2005 में सीट ओ.बी.सी. महिला के लिए आरक्षित थी तब उन्होंने सत्ता को अपनी पत्नि के माध्यम से जारी रखा और सारा पंचायत का कार्य वह ही देखते थे, भगवानी देवी तो मात्र हस्ताक्षर मोहरा थी और जैसा कि यहां कांग्रेस–भा.ज.पा. की राजनीति चरम् है और विधायक जो कि कांग्रेस के थे, उन्होंने अपना व्यक्ति नहीं होने से शुरूआत से ही सरपंच के कार्यों में रोड़ा अटकाना प्रारम्भ किया और निम्न कारणों से 27 अप्रैल, 2007 को भगवानी देवी व सरपंच पति को पद छोड़ना पड़ा।

उपरोक्त महत्वपूर्ण कारक रहें जिसकी वजह से अविश्वास मत साबित हुआ कि पंचायत की बैठको का आयोजन अपने घर पर किया जाना। सरपंच भगवानी देवी ग्राम सभा में भाग नहीं लेतीं। सरपंच पति द्वारा ही कार्य करना, उपसरपंच के साथ आपसी झगड़े, सरपंच को भा.ज.पा. को समर्थन, विपक्षी कांग्रेस के होना।

उक्त वर्णित वांक्याशों से प्रतीत होता है कि महिला सरपंच तो केवल नाम मात्र के लिये थी और इसी का फायदा विपक्ष के द्वारा उठाया गया। कुछ ने मिल कर जितनी भी महिला सरपंच थीं जिनके विरूद्ध अविश्वास मत आया है, उसमें सबसे बड़ी बात सरपंच पति द्वारा काम काज करना और विधायको की राजनीति है। विधायक, राजनीतिक दल व सरपंच पति के कारण भगवानी देवी को सरपंच पद खोना पड़ा।

राजनैतिक प्रतिद्वेषता

प्रजात्रातिंक देश के नाते हमारें यहॉ प्रजात्रंत के तीन महत्वपूर्ण चरण है लोकसभा, विधानसभा और सबसे महत्वपूर्ण पंचायतीराज। इसके तहत लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाये रखते हैं और इसी वजह से वह पंचायतीराज में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनायें रखना चाहतें हैं और पंचायत चुनावों में वह अपने दल के उम्मीदवार को जीताना चाहतें है ताकि उनकी ग्राम स्तर तक पकड़ अच्छी बनी रहें। इसी के चलतें क्षैत्रीय विधायक एवं ससंद सदस्य अपने चहेते उम्मीदवार को ही जीताना चाहतें हैं और जिस का उम्मीदवार नहीं जीत पाया तो वह विपक्ष को मजबूत करके अविश्वास प्रस्ताव मत के द्वारा हटवा देते हैं। यहॉ हमें जो उदाहरण देखनें को मिल रहें हैं जिनमें अविश्वास प्रस्ताव मत क्षेत्रीय विधायक साहब की मर्जी के अनुसार हुऐं है।

दूसरा अविश्वास प्रस्ताव मत का कारण यह भी रहा कि दोनों प्रमुख दल भाजपा व काग्रेंस नें भी अपनें उम्मीदवारों को नहीं जीतनें की स्थिति में भी विपक्ष को मजबूत बनाकर अविश्वास प्रस्ताव मत हासिल किया है।

एक ऐसा ही उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि बेंगु के भाजपा विधायक श्री चुन्नीलाल धाकड जो पंचायत चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं जीता सके और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार श्रीमति छाऊ देवी जीत गई, इस जीत को विधायक महोदय पचा नहीं सके और उन्होनें उपसरपंच व पंचों को प्रलोभन देकर अविश्वास प्रस्ताव मत के द्वारा छाऊ देवी को हटवा दिया परन्तु पुनः उपचुनावों में छाऊ देवी पहले से ज्यादा मतों से विजयी हुई।

इस प्रकार से अग्रलिखित उदाहरणों में दलगत राजनिति के शिकार बनीं सरपंचों के उदाहरण प्रस्तुत है।

नाम – छाऊ बाई नागा
जाति – कुमावत
उम्र – 32
ग्राम पंचायत – बरनियावास
पंचायत समिति – बैगू
जिला – चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत बरनियावास जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ से 42 एवं पंचायत समिति बैगूं से 25 किमी दूर स्थित है। बरनियावास गांव चारों ओर अरावली की पहाड़ियों से घिरा दुर्गम इलाका है। सरपंच श्रीमति छाऊ बाई कुमावत समाज की 32 वर्षीय पांचवी पास है। छाऊ बाई के पति किसान हैं एवं कृषि उपज मण्डी बैगू के अध्यक्ष भी हैं, अतः उनका अधिकांश समय गांव में या पंचायत समिति में ही व्यतीत होता हैं।

2005 के पंचायत चुनावों में यह पंचायत ओबीसी की महिला के लिये आरक्षित थी। पंचायत के लोगों ने एक जुट होकर छाऊ बाई को सरपंच के लिए चुन लिया। ग्राम वासियों में उसके पति की अच्छी छवि व मण्डी के कामों में उन पर किसी प्रकार के आरोप भी नहीं थे अतः छाऊ बाई को सरपंच के लिए चुना।

श्रीमती छाऊ बाई को शुरूआत से ही पंचायत में षड्यंत्र को झेलना पड़ा क्योंकि कृषि उपज मण्डी के चुनावों में विधायक अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाये थे तबसे विधायक महोदय अपनी हार से बोखलाये थे और तो और वह अपना उम्मीदवार पंचायत चुनाव में भी जीता नहीं पाये थे। यही वजह थी कि छाऊ बाई को शुरूआत से ही अपने विरुद्ध माहोल तैयार मिला। उपसरपंच विधायक महोदय के पक्ष व वार्डों में से 6 वार्ड के मेम्बर विधायक पक्ष के थे, विधायक ने पंचों को अपनी ओर मिलाकर रखने के लिए शराब व भय का माहोल रखते थे और यहीं से अविश्वास प्रस्ताव लाने से पूर्व तक सभी पंचों पर राजनीतिक व सामाजिक दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। अविश्वास मत लाने के विभिन्न कारणों का प्रयोग किया जो कि सभी जगह प्रयोग में लेते हैं जैसे सरपंच जाति पंचायत में हावी हैं सारे कार्य वही करता है, सरपंच केवल हस्ताक्षर करती है। साथ ही सरपंच पति कांग्रेस व उपसरपंच व वार्ड पंच बीजेपी के होना, आदि प्रमुख कारणों की वजह से 4 फरवरी 2007 को अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद् में पेश किया, जिसमें 7 पंचों ने हस्ताक्षर किये और 14 मार्च 2007 को अविश्वास मत पारित हुआ तदुपरान्त श्री महावीर सिंह को कार्यवाहक सरपंच नियुक्त किया गया।

पुनः चुनाव 9 अगस्त 2007 को हुए और वह पुनः चुनाव लडी और जनता ने उन्हें पूर्व से भी ज्यादा मतों से विजयी बनाया। पहले 131 मतों से जीती थी अब 160 मतों से से विजयी घोषित हुई।

छाऊबाई जो कि एक अच्छी छवि की महिला उम्मीदवार थी, पति की अच्छी छवि के कारण जीती कार्य भी किया, लेकिन राजनीतिक दांवपेच विधायक महोदय द्वारा खेले गये, उन्हें अविश्वास मत से हटाया गया, परन्तु पुनः पूर्व से ज्यादा मतों से विजयी होकर जनता ने दिखाया कि राजनीति से भी कहीं ज्यादा व्यक्ति विशेष की छवि है और छाऊ बाई पुनः सरपंच बन गई।

नाम : श्यामू बाई
जाति : कुमावत
उम्र : 52 वर्ष
ग्राम पंचायत : चीकसी
पंचायत समिति : चित्तौड़गढ़
जिला : चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत चीकसी जिला मुख्यालय से एवं पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ से 16 किमी. दूर है। सरपंच श्यामू बाई 52 वर्षीय साक्षर है। पति पूर्व में इस ग्राम पंचायत के सरपंच भी रह चुके है। श्यामू बाई के कार्यकाल

की शुरूआत 04 फरवरी, 2005 को सरपंच पद की शपथ से शुरू हुआ। पंचायत का सारा काम इसके पति द्वारा ही किया जाता था, श्यामू बाई घर पर व पंचायत दोनों जगह रहती थी। पंचायत की मासिक बैठकों में भाग लेती। पंचायत समिति व जिला परिषद की बैठकों में जाती थी। पंचायत के सारे काम पति की मदद से किये जाते थे काम की जानकारी व कितनी राशि खर्च हुई इसकी जानकारी श्यामू बाई को थी।

श्यामू बाई को दिनांक 20 मई, 2008 को अविश्वास मत के द्वारा हटा दिया गया, कारण स्थानीय विधायक व सरकार के मंत्री महोदय की नाराजगी रही है। मंत्री महोदय अपना सरपंच चाहते थे परन्तु वह उसे चुनावों में अपने उम्मीदवार को नही जीता सके थे। स्वंय सरपंच पति भी बी.जे.पी. समर्थक थे। मंत्री महोदय की नाराजगी का दूसरा कारण यह भी रहा कि वह जिस ग्राम सेवक को उनकी पंचायत में नियुक्त करवाते थे सरपंच उसका स्थानान्तरण दूसरी जगह करवा देती थी। ऐसा दो बार हो चुका था जब मंत्री महोदय ने अपने खास व्यक्ति को इस ग्राम पंचायत में नियुक्ति करवायी उसे वहां से हटवा दिया गया। इसलिए सारे दाव–पेचों से श्यामू बाई को 20 मई, 2008 को पद त्यागना पड़ा। स्थानीय मंत्री की दलगत राजनिति, सरपंच पति द्वारा कार्य एवं ग्राम सेवक का भ्रष्टाचार के कारण श्यामूबाई को सरपंच के पद से हटना पड़ा।

नाम : जमना बाई
जाति : राजपूत
उम्र : 35
ग्राम पंचायत : डोलिया
पंचायत समिति : लाडपुरा
जिला : कोटा

ग्राम पंचायत डोलिया जिला मुख्यालय कोटा व लाडपुरा से 35 किमी. दूर स्थित है। ग्राम पंचायत की 65 प्रतिशत आबादी राजपूतों की है। सरपंच जमना बाई पांचवी तक शिक्षा प्राप्त 35 वर्षीय राजपूत महिला है। इनके पति पूर्व में वार्ड पंच एवं पंचायत समिति सदस्य रह चुके है। 2005 के सरपंच चुनाव में सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव जीती जमनाबाई ने पति की देख–रेख में पंचायत कार्यों को करना प्रारम्भ किया। लगभग 15 लाख रूपये के कार्य करवायें। ग्राम वासियो के साथ चर्चा करने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि सरपंच के काम में भ्रष्टाचार मुद्दा नही था। सारे प्रकरण की मुख्य वजह स्थानीय विधायक की दादागीरी, भाजपा के दो गुटों में आपसी मतभेद। जो कि विपक्षी पचों को असहनीय हो रहा था। और क्षैत्रिय विधायक जो कि भा.ज.पा. के ही है, वह भी विपक्षी खेमें को मजबूत करवाते रहे। यहां दोनों और एक ही पार्टी लड़ रही थी। ऐसे में 5 फरवरी 2007 को सरपंच के विरूद्ध जिला परिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो कि 22 फरवरी को पारित हो गया।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यहां पर एक ही दल के दो विधायको की आपसी मतभेद व एक गुट का दूसरे गुट हावी होने के कारण सरपंच को सत्ता से हटना पड़ा।

नाम : रामकन्या लोधा (उपसरपंच)
जाति : लोधा
उम्र : 45
ग्राम पंचायत : सलावदा
पंचायत समिति : बकानी
जिला : झालावाड़

ग्राम पंचायत सलावदा जिला मुख्यालय से 35 किमी. और पंचायत समिति बकानी से 11 किमी. दूर स्थित है। उपसरपंच रामकन्या लोधा 45 वर्षीय साक्षर महिला है। 2005 के पंचायत चुनावों में रामकन्या ने श्रीमति संतोष बाई का समर्थन किया था। इसी वजह से सरपंच ने रामकन्या लोधा को उपसरपंच बनवाया। एक पंच जो कि बी.जे.पी. समर्थक था वह उपसरपंच बनना चाहता था और सरपंच के हस्तक्षेप की वजह से वह उपसरपंच नहीं बन पाया और वह शुरूआत से ही उपसरपंच के विरूद्ध माहौल तैयार करने लगा। चूंकि यह पंच गांव का प्रभावशाली व्यक्ति है और इसका गांव वालो में भय था, जिसकी वजह से रामकन्या पंचायत नहीं जाती थी और अविश्वास प्रस्ताव के कारणों में यही प्रमुख रहा कि उपसरपंच रामकन्या लोधा ग्राम सभा में कभी भी भाग नहीं लेती है। इसी को आधार बना कर एक पंच ने पंचों को अपने पक्ष में कर लिया और 7 मार्च, 2007 को अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। प्रारम्भ में सरपंच व उपसरपंच के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे सरपंच व उपसरपंच साथ मिलकर कार्य करते थे, जो कुछ पंचों को अच्छा नहीं लगता था, अतः पहले सरपंच को उपसरपंच से अलग किया गया तथा उसके विरूद्ध माहोल तैयार किया गया फिर सरपंच की मदद से उसे पद से हटवा दिया गया।

नाम : दलुड़ी बाई
जाति : भील
उम्र : 45
ग्राम पंचायत : बनोकड़ा
पंचायत समिति : कुम्भलगढ़
जिला : राजसमंद

ग्राम पंचायत बनोकड़ा जिला मुख्यालय राजसमंद से 75 किमी. एवं कुम्भलगढ़ पंचायत समिति से 25 किमी. दूर स्थित है। 950 घरों की बस्ती की कुल जनसंख्या 5200 है जिसमें से 3300 मतदाता है। बनोकड़ा में

कुल 11 वार्ड है इनमें से तीन वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1 पंच अनुसूचित जाति से व 8 अनुसूचित जनजाति वर्ग से है, 2 सामान्य वर्ग से है। यह पंचायत शैक्षणिक व आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी हुई है।

सरपंच दलुडी बाई भील जनजाति की 45 वर्षीय अशिक्षित महिला है, पति साधु के वेश में रहते है अतः वह अधिकांश समय गांव के बाहर ही रहते है अपने छोटे देवर के साथ बनोकड़ा गांव के फले में रहती है। देवर 1999–2004 तक ग्राम पंचायत के निर्विरोध चुने गये इस दौरान ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का विरोध इसके खिलाफ नहीं था। 2005 के पंचायत चुनाव मं जीतने के पश्चात् दलूडी बाई के देवर ही सरपंच का काम–काज देखते आये हैं। दलुड़ी बाई स्वयं तो घर पर ही रहती और केवल 15 अगस्त व 26 जनवरी को ही स्कूलों में जाती थी। और विपक्ष जो कि राजपूत थे वो अपने उम्मीदवार को जीता नहीं पाये वो इसको सहन नहीं कर पा रहे थे और राजपूतों ने उपसरपंच व 6 अनुसूचित जाति. के पंचों को पैसे–शराब इत्यादि के बल पर अविश्वास प्रस्ताव मत पर हस्ताक्षर करने के लिये राजी किया। उपसरपंच द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के प्रमुख कारण निम्न बताए गये, कि पंचायत का सारा कार्य देवर ही करता है जो कि पूर्व सरपंच भी था और दलुडी कभी भी पंचायत भवन नहीं जाती थी। दलुडी का केवल हस्ताक्षर ही करना मुख्य कार्य था। इसके साथ ही सरपंच के देवर द्वारा राजपूतों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना भी सरपंच के खिलाफ नाराजगी का कारण था। यह सभी कारण बनें अविश्वास प्रस्ताव के और 14 फरवरी, 2007 को अविश्वास मत पारित हो गया और पंच रूपली बाई को कार्यवाहक सरपंच नियुक्त किया गया।

नाम : चौथी देवी
जाति : यादव
उम्र : 45
ग्राम पंचायत : बासड़ी खूर्द
पंचायत समिति : सांभर लेक
जिला : जयपुर

सरपंच चौथी देवी जो कि 45 वर्षीय यादव समाज की अशिक्षित महिला है। 2004 के पंचायत चुनावों में चौथी देवी 225 मतों से विजयी हुई। चुंकि स्वंय अशिक्षित हैं इसलिए पंचायत के सारे कार्य पति बेटो के माध्यम से करवाती थी परन्तु करवाये गये विकास कार्यो का स्वंय अनुमोदन करवा कर भुगतान करवाती थी। जैसा कि हर जगह विपक्ष खेमा मौके की तलाश में रहता है, यहां भी पूर्व सरपंच जो कि लगातार 15 वर्षों से सरपंच था उसे सरपंच पद पर महिला अच्छी नहीं लगती थी। अतः उपसरपंच के माध्यम से अविश्वास मत पेश किया। दुर्भाग्य से विश्वास मत वाले दिन चौथी देवी के पति की हदयधात से मृत्यु हो गई तो

विश्वास मत वाले दिन सभी पंच उपस्थित तो थे परन्तु मत नहीं दिया ऐसे में चौथी देवी ही सरपंच पद पर बनी रही है।

फिर भी जो प्रमुख मुद्दे सामने आये वो ये है : निजी हितों की पूर्ति नहीं होने के कारण गांव के प्रभावशाली लोगों द्वारा गलत तरिके से इस प्रावधान का उपयोग करना गांव के लोगो का पंचायत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण व सोच एवं जागरूकता का अभाव होना। गांव में सामन्ती विचार धारा के चलते महिला सरपंच को कुर्सी पर नहीं बैठने देना। विभागीय कार्यवाही एक तरफा होना विभागीय जांच व कार्य प्रणाली भी संदेह के घेरे में आती है।

गांव में सामन्ती विचारधारा परन्तु सरपंच पति की असमय मृत्यु हो जाने से पंचों का मतदान के लिए मत नहीं देना, चौथी देवी का सरपंच बनाये रखा।

नाम : बाबुडी देवी
जाति : मीणा
उम्र : 41
ग्राम पंचायत : राजपुर बास ताला
पंचायत समिति : जमवारामगढ़
जिला : जयपुर

ग्राम पंचायत राजपुर बास ताला जिला मुख्यालय से 62 किमी. दूर तथा पंचायत समिति जमवारामगढ़ से 65 किमी. दूर स्थित है। ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 6500 है एवं मतदाता 3996 है। पंचायत में कुल 15 वार्ड है। पंचायत में 10 वार्ड पंच ओ.बी.सी., 2 पुरूष एस.टी. के 3 वार्ड पंच एस.सी. के है। पंचायत शैक्षणिक व आर्थिक रूप से सक्षम हैं।

सरपंच बाबुडी मीणा 41 वर्षीय अशिक्षित है। 2004 पंचायत चुनावों से जीत कर सरपंच बनी बाबुडी मीणा अपना पंचायत का सारा काम पति की मदद से ही करती आई है। पंचायत की मासिक बैठको में भी अपने पति की मदद से भाग लेती, पंचायत के कार्यो की जानकारी व कितनी राशि खर्च हुई इसकी जानकारी जरूर रखती थी।

चुंकि भूतपूर्व सरपंच अपने उम्मीदवार को जीता न सका, इसलिए भूतपूर्व सरपंच ने वार्ड पंचों को अपने पक्ष में करके सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आये सरपंच पर आरोप लगाया गया कि पंचायत का सारा कार्य पति ही करता है, गांव में निर्माण कार्यों की अनदेखी करना, विकास कार्यों में रूचि नहीं रखना, आपसी झगड़े, विकास कार्यों में राशि का गबन करना आदि। लोगों का मानना है कि ग्राम सेवक ने बाबुडी मीणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिराने में सरपंच का साथ दिया। 7 मार्च, 2007 को अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद में पेश किया गया, जिसमें 10 पंचों ने हस्ताक्षर किये। 23 मार्च, 2007 को पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर मत देना था परन्तु 15 पंचों में से 7 पंच ही उपस्थित हुऐ और मत नहीं दिये ऐसे में बाबुडी

मीणा सरपंच पर बनी रही। यहा सरपंच पति की जागरुकता व ग्राम सेवक के सहयोग के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

नाम : धापू देवी
जाति : मेहर
उम्र : 60
ग्राम पंचायत : झूमकी
पंचायत समिति : झालरापाटन
जिला : झालावाड़

ग्राम पंचायत झूमकी जिला मुख्यालय से 25 किमी. एवं पंचायत समिति से 18 किमी. दूर हैं। 1200 घरों की पंचायत कि कुल जनसंख्या 10,000 हैं जिसमें 4550 मतदाता है। यह यह पंचायत मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आती है।

संरपच धापू बाई मेहर 60 वर्षीय साक्षर महिला है। 60 वर्षीय धापू बाई ने 2005 पंचायत चुनावों में 250 मतों से विजयी होकर प्रथम बार सरपंच पद की शपथ ली। धापू बाई की भूतपूर्व सरपंच घासीलाल पंचायत में सरपंच के साथ उसके काम में मदद करते थे। धापू देवी का भूतपूर्व सरपंच घासीलाल के साथ मिल कर कार्य करने से विद्रोह का माहोल बनने लगा। पंचायत की बैठको का आयोजन नहीं किया जाना, कार्य भूतपूर्व सरपंच द्वारा किया जाना, सरकारी योजनाओं में राशि का गबन करना, आदि को आधार बना कर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से 10 फरवरी, 2008 को धापू देवी को अविश्वास मत पारित कर हटा दिया। वर्तमान सरपंच नन्दुबाई के अनुसार '' धापू को हटाने में वहां की सचिव की भुमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वही पंचों को भडकाने का काम करती थी, तथा समय–समय उपसरपंच व पंचों के साथ मिल कर राजनितिक बैठके करती थी। नन्दुबाई के अनुसार भूतपूर्व सरपंच श्री घासीलाल की राय के बगैर कोई काम नहीं करती थी वह मानती थी कि वह उन्हे सही सलाह देते है और वह ऐसा करते भी थे परन्तु सचिव व उपसरपंच को यह पंसन्द नहीं था क्योंकि कई बार घासीलाल जी की वजह से इनके घोटाले पकड़ में आये थे जिसकी शिकायत सरपंच ने पंचायत समिति में भी की थी।'' उपसरपंच व सचिव की राजनितिक द्धैषाता के कारण धापू देवी को सरपंच पद से हटना पड़ा।

सरपंच एक मोहरे के रूप में

सन् 1920 में गांधीजी की कही गई बात आज भी कितनी सार्थक और प्रासंगिक है कि ''आजादी और प्रजातंत्र तब तक अधूरा हें जब तक समाज के पिछड़े वर्गों को भी समृद्ध तबकों जैसे अधिकार नहीं मिल पाते।'' जाहिर है राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं से भी उनका तात्पर्य था। इसीलिये आजादी की लड़ाई में उन्होंने नारियों को भी जोड़ा। महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता का संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 73 संविधान संशोधन विधेयक को जाता है इसके तहत महिलाओं को भी सरपंच के लिये आरक्षण का लाभ मिलने लगा। इस आरक्षण का लाभ महिला को मिला परन्तु सिर्फ नाम के लिये और कागजों में यर्थाथ में इसका लाभ दूसरे उठाने लगते है। और उनके नाम पर अपनी मनमर्जी व भष्ट्राचार करने लगते है इसका खामियाजा उस महिला को भुगतना पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण इस अध्ययन के दौरान निकल कर आये जिसमें महिला सरपंच को कुछ अपने काम व पद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कुछ लोंगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये महिला को सरपंच बनाया उसके नाम पर सरपंच का कार्य करते रहे। बाद मे सरपंच को इसका परिणाम भुगतना पडा और पद से हाथ छोना पड़ा। ऐंसा ही उदाहरण सोहनी बाई भील व फूला देवी का निकल कर आया जहां आरक्षित सीट होने के कारण ऐसी महिला को सरपंच बनवा दिया जो न तो आर्थिक रूप से सक्षम थी और ना ही सामाजिक रूप से। परिणाम स्वरूप जब पंचायत में आपस में मनमुटाव पैदा हुआ तो महिला को अपने पद से हाथ धोना पडा। ऐसे ही उदाहरण निम्न है।

नाम : सोहनी बाई
जाति : एस.टी. (भील)
उम्र : 50 वर्ष
ग्राम पंचायत : कुदायला
पंचायत समिति : खैराबाद
जिला : कोटा

ग्राम पंचायत कुदायला जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर तथा खेरावाद पंचायत समिति से 15 किमी. दूर स्थित है। इस ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 7800 हैं इसमें से 3500 मतदाता है। कुदायला ग्राम पंचायत में कुल 3 घर भील समाज के है।

सरपंच सोहनी बाई 50 वर्षीय भील जाति की निरक्षर महिला है। गांव के बाहर बस स्टेण्ड पर कच्चा झोपड़ा है। स्वंय की 1.5 बीघा खेती योग्य जमीन है। पति–पत्नि दोनों मिलकर मजदूरी करते है। छोटा सा साधारण और गरीब परिवार है। 2005 पंचायत चुनाव में यह सीट जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थी पंचायत के एक वकील ने सोहनी देवी को चुनाव में खड़ा कर जिता दिया। ऐसे में चूंकि सोहनी बाई निरक्षर भी थी तो वकील साहब और गांव के दो–तीन प्रभाव शाली व्यक्ति ही सोहनी बाई को मोहर बनाकर उपयोग लेते थे। क्योंकि सोहनी बाई के पास केवल अपना अंगुठा व मोहर ही थी। ऐसे में वकिल साहब अपनी मनमर्जी करते रहे। ऐसे में वह लोग जो इससे लाभान्वित नही हो पा रहे थे उन्होने उपसरपंच व पंच के माध्यम से सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करवा दिया और उसे पद से हटवा दिया।

नाम : फुला देवी
जाति : गूर्जर
उम्र : 40
ग्राम पंचायत : नोहटा
पंचायत समिति : निवाई
जिला : टोंक

ग्राम पंचायत नोहटा जिला मुख्यालय टोंक से 75 किमी. और निवाई से 25 किमी. दूर स्थित है। 300 घरों की ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 3280 है इसमें से 2142 मतदाता है।

सरपंच फुला देवी 40 वर्षीय निरक्षर महिला हैं पति भी पूर्ण रूप से असाक्षर है। फुला के पति भेड़ चराने के काम करते है। फुला 2005 में सरपंच चुनाव जीती उसे आज भी सरपंच क्या करता है और क्या कर सकता है, कौन होता है, नही पता। गांव वालों कहने पर चुनाव लडा 15,000 रूपये भी खर्च करा दिये, और अब वापिस हटा दिया और सारा कार्य उपसरपंच व पंच ही करते थे मुझसे केवल अगुंठा लगवाते रहे। धीरे–धीरे सरपंच का बेटा राजनीति समझने लगा और उसने हस्तक्षेप प्रारम्भ किया जो उपसरपंच सहन नहीं कर सकता था और उसने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी प्रारम्भ कर दी चूंकि पहले से पंच उसकी तरफ थे ही तो उन्हें बहुमत बनानें में ज्यादा वक्त नहीं लगा और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। भाई भतिजावाद, भष्ट्राचार, सरपंच बेटा का कार्य देखना, बैठकों में भाग नहीं लेना इत्यादि कारणों को प्रस्ताव में लाते हुऐं 21 मई, 2007 को अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद में पेश किया और 5 जून, 2007 को प्रस्ताव पारित हो गया और फुला देवी को गद्दी छोड़नी पड़ी।

उपरोक्त केस के सदंर्भ में व्यक्त है कि यहां पर सरपंच फुला को गांव ने बनाया और उपसरपंच ने हटाया क्योंकि फुला तो सरपंच के पद का महत्व जानती नहीं थी और सब कार्य उपसरपंच करता था, परन्तु जब अनियमितताऐं हुई तो सरपंच के बेटा भी भागीदार बनना चाहता था ऐसे में विरोध हो गया और उपसरपंच ने इस कार्य को अंजाम दिया।

नाम : गंगा देवी
जाति : गरासिया
उम्र : 23
ग्राम पंचायत : आंचरौली
पंचायत समिति : झाड़ोल
जिला : उदयपुर

ग्राम पंचायत आंचरौली जिला मुख्यालय उदयपुर से 92 किमी. एवं पंचायत समिति झाडोल से 45 किमी. दूर स्थित है। 800 घरों की ग्राम पंचायत की कुल जनंसख्या 5386 है जिसमें 2556 मतदाता है। पंचायत पूर्ण रूप से आदिवासी इलाका एवं अरावली की पहाड़ियो से घिरा दुर्गम इलाका है।

सरपंच गंगा देवी 23 वर्षीय गरासिया जनजाति कि साक्षर महिला है। पति स्नातक तक पढ़ा लिखा है। 2005 के पंचायत चुनावों में विजयी हुई गंगा के कार्य को उसके चचेरे भाई देखते थे। और गांव में माहौल ठीक–ठाक था, उपसरपंच को लगता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसे में उसने सूचना के अधिकार के तहत एन.आर.ई.जे.ए. के कार्यों की एवं पंचायत के पास होने की बात कहकर सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई यहां तक की विकास अधिकारी व प्रधान के हस्तक्षेप के उपरान्त भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। ऐसे में भष्ट्राचार का होना और ठोस हो गया था और फिर पंचों के साथ मिलकर उपसरपंच ने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियां की लेकिन सरपंच के अध्यापक भाई ने पंचों को डराया–धमकाया लेकिन फिर भी पंचों ने एकजुट होकर 21 मई, 2007 को अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद में प्रेषित किया और 8 जून, 2007 को अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। वर्तमान तक कार्यवाहक सरपंच ही कार्य देख रही है।

सरपंच के भाई जो कि अध्यापक था उसका हस्तक्षेप ज्यादा था और इसी कारण से उपसरपंच ने पंचो के साथ मिलकर अविश्वास मत हासिल किया।

उपरोक्त वर्णित वांक्याशों में यह निष्कर्ष निकलकर आया है कि महिला सरपंच केवल मजबूरी है, क्योंकि सीट आरक्षित होती है तो आपके पास कोई चारा नहीं हैं इसलिए गांव के प्रभावशाली लोग इस तरह बेसहारा महिलाओं को कठपूतली बनाकर चलाते है और आखिर में परिणाम महिला को भोगना पड़ता है। जैसा कि उपरोक्त तीनों उदाहरणों में देखने को मिला जिसमें प्रभावशाली लोगों ने सरपंच से अपने तरीके से कार्य करवाये, जिसे उपसरपंच, पंच सचिव ने मिलकर लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद से हटना पड़ा।

नाम : नारायणी देवी मीणा
जाति : कुमावत
उम्र : 45
ग्राम पंचायत : मचुण्ड़ला
पंचायत समिति : अरनोद
जिला : प्रतापगढ़

ग्राम पंचायत मचुण्डला जिला मुख्यालय से 70 किमी. एवं पंचायत समिति अरनोद से 25 किमी. दूर स्थित हैं। सरपंच नारायणी देवी मीणा 45 वर्षीय साक्षर है। पति आठवीं पास है तथा गांव में डॉक्टरी करते है। 1976 में डॉक्टरी का तीन महिने का कोर्स किया था उसी आधार पर डॉक्टरी करते है। डॉक्टर साहब की दो पत्नियां हैं, नारायणी देवी व अनिता देवी 2004 के पंचायत चुनावों में जीती नारायणी देवी का सारा कार्य पति ही देखते है।

इसी कारण उपसरपंच ने फायदा उठाया और पूर्व सरपंच श्रीमति चन्द्रबाला द्वारा भी यह मुद्दा उठाया गया और निम्न कारणों को उजागर करते हुए अविश्वास प्रस्ताव व जिला परिषद में पेश किया कि पंचायत की बैठकों का आयोजन समय पर नहीं, सरपंच का भाग नहीं लेना, सरपंच पति द्वारा ही सारे पंचायत के कार्य करना, अमीरों को ही आवास के फायदे पहुंचाना इत्यादि कारणों की वजह से नारायणी देवी मीणा को 24 मई, 2007 को अविश्वास मत द्वारा हटा दिया।

उपरोक्त वाक्यांशों से निष्कर्ष निकलता है कि यहां सरपंच पति ही हावी रहा जिसके कारण नारायणी देवी को सरपंची पद छोड़ना पड़ा।

नाम : बगदी बाई
जाति : धोबी
उम्र : 50
ग्राम पंचायत : सासेरा
पंचायत समिति : रेलमगरा
जिला : राजसमन्द

ग्राम पंचायत सासेरा जिला मुख्यालय राजसमंद से 75 किमी. दूर तथा रेलमगरा पंचायत समिति से 25 किमी. दूर स्थित है। सरपंच बगदी बाई 50 वर्षीय अशिक्षित महिला है। पति खेती–बाड़ी करते है और पूर्व सरपंच भी है। दो बेटे है एक सीमा सुरक्षा बल जम्मू में नियुक्त हैं दूसरे के धोबी कि दुकान है। परिवार

आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है। 2005 के पंचायत चुनावों में जीतने के पश्चात बगदी देवी के पति ही सारा कार्य देखते रहे। और यह तय है कि जहां पति सरपंच कार्य देखता है वहां स्वाभविक रूप से विपक्ष विरूद्ध हो जाता है। और यहां भी यही हुआ उपसरपंच पंचों के साथ अपनी रणनिति तैयार करने लगा और 6 मार्च, 2007 को अविश्वास प्रस्ताव निम्न कारणों के साथ जिला परिषद में पेश किया पंचायत की बैठकों का समय पर आयोजन नहीं करना, बैठको की जानकारी पंचों को नहीं देना। बगदी बाई कभी बैठक में भाग नहीं लेती। पंचायत के सारे कार्य पति ही देखता था, और गांव में कराये गये निर्माण कार्यों में राशि का गबन करना, राशि कम खर्च करना व ज्यादा राशि का भुगतान उठाना। ग्राम सेवक का भी सरपंच को मदद नहीं करना इन सब को देखते हुए 22 मार्च, 2007 को मतो के द्वारा बगदी बाई को हटना पड़ा।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार, पति के हस्तक्षेप से बगदी बाई को कुर्सी छोड़नी पड़ी।

नाम : अनोखी देवी
जाति : रेगर
उम्र : 43
ग्राम पंचायत : गेहरोली
पंचायत समिति : देवली
जिला : टोंक

ग्राम पंचायत गेहरोली जिला मुख्यालय टोंक से 32 किमी. दूर तथा पंचायत समिति देवली से 40 किमी. दूर स्थित हैं।

सरपंच अनोखी देवी 43 वर्षीय रेगर समाज की अशिक्षित महिला है। पति भारतीय जीवन बीमा निगम टोंक कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी हैं। यह परिवार स्थायी रूप से टोंक में निवास करता है, गांव वालों के अनुरोध पर 2004 पंचायत चुनावों में जीती और अपने बडे बेटे की मदद से सारा पंचायत का काम देखती थी। गांव के चौधरी रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल हमेशा सरपंच के विरूद्ध में खड़े रहते थे अक्सर कार्यों में बाधा डालते थे और सरपंच को देख लेने की धमकी देते थे। ऐसे में सरपंच को अपने कार्यों को करने में समस्याऐं आती थी। चौधरी जी ने पंचों को घन व शराब के दम अपनी तरफ मिला लिया और सबने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियां प्रारम्भ कर दी। और वहीं कारण जो कि आम तौर पर बनाये जाते है कि सरपंच बैठकों में भाग नहीं लेती है, कार्य बेटा करता है, सरपंच गांव में नही रहती है इसलिए लोगों को टोंक जाना पड़ता है। सरपंच की विकास कार्यों में कोई रूचि नहीं

थी इत्यादि कारणों को ध्यान में रखते हुऐ सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 7 मार्च, 2007 को जिला परिषद में पेश किया और 22 मार्च, 2007 को अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया।

इन सभी उदाहरणो से स्पष्ट हो जाता है कि महिला को अपनी गद्दी बचाने में कितने पापड बेलने पडते है फिर भी वह सफल नही हो पाती है अतः निम्न सुझाव व निष्कर्ष इस प्रकार है

निष्कर्ष एंव सुझाव

इतनी विपुल मात्रा में पंचायतीराज के तीनों स्तरों में महिलाओं का आरक्षण और सभी पदों में उनका चुना जाना सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए ही नही स्वयं महिलाओं के लिए भी चुनौती पूर्ण है। आरक्षण के इस क्रान्तिकारी कदम के पीछे यही मंशा थी कि इससे महिलाओं में राजनीतिक जागृति आयेगी। अपने अधिकारों के प्रति उनमें चेतना पैदा होगी, सीमित घर गृहस्थी के दायरे से बाहर वे जनता के बीच होगी ,खुले वातावरण में विचरण कर सकेगी, इस प्रकार क्षेत्र व देश के कल्याण कार्यो में भाग लेने में सक्षम होगी।

देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं के सशक्तिकरण का यह संगठित प्रयास शुरू हुआ है। राजनीतिक व सामाजिक ढॉचे में परिवर्तन की उम्मीदे बॅधी है इससे रातो रात कोई चमत्कार हो जाऐगा ये एक निराधार बात है। भारत जैसे जटिल देश में जहॉ अनेक धर्म भाषाऐ और जातीय समूह है। सत्ता में महिलाओं की समान भागीदारी के लिए सरकार और समाज के सामने खास चुनौती सांस्कृतिक, संस्थागत और सामाजिक बंधनों को तोडना है। जो सदियो से अपनी जडे जमाये बैठे है राजस्थान जैसे प्रदेश मे तो समस्या ओर भी अधिक गहरी है। सामंती व्यवस्था में पले बढे व्यक्ति विशेषकर ग्रामीण जन स्त्रियो के प्रति अपने रवैये मे परिवर्तन लाना नही चाहते। लेकिन समय बदल रहा है ,दृष्टिकोण भी बदल रहे है इसमें संदेह नही है कि सार्वजनिक जीवन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बडी संख्या में महिलाओं की भगीदारी ही समाज की दकियानूसी सोच में परिवर्तन लाएगी। समाज के भौतिक विकास के लिए महिलाऐ नई तरह से प्राथमिकताऐं तय करेगी उन्हे नये ढंग से लागु करेगी।

बाधाऐं –

ढॉचेगत व्यवस्था में आये इस क्रन्तिकारी परिवर्तन के बावजूद स्त्रियो के सशक्तिकरण में अनेक बाधाऐं रही है। और अभी भी न्यूनाधिक रूप से समाज में व्याप्त है। – ये बाधाऐं निम्न है –

दोहरे सामाजिक मूल्य

महिलाओं के प्रति दोहरे सामाजिक मूल्यों ,रूढियो और कुप्रथाओं के कारण देश में महिलायें स्वतंत्र रूप से फैसले करने में नाकाम रही है। उनके फैसलें ज्यादातर परिवार के पुरूषों की इच्छानुसार ही होते है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण भोजन ,स्वास्थ्य ,और शिक्षा सेवाओं तक में उनके साथ भेदभाव बरता जाता है।

आर्थिक पिछडापन

आर्थिक बाधाऐं भी महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से रोकती है 1994 में उडीसा के कुछ हिस्सों में हुये सर्वेक्षण से पता लगा कि पंचायतों में कायस्थ और खंडेत जैसी सवर्ण जातियों की महिलाओं ने पंचायतों में 66 प्रतिशत सीटों पर कब्जा किया है जबकि हरिजनो के हिस्से सिर्फ 21 प्रतिशत स्थान आये। निचली जाति की महिलाऐं अपनी रोजी रोटी ज्यादातर खुद कमाती है,इसलिए उन्हे बाहरी दुनियॉ की बेहतर जानकारी होती है। परन्तु सामाजिक व आर्थिक अभावों के कारण वे पंचायत में आगे नही बढ पाती । यधपि ऊची व नीची जातियों की स्त्रियॉ कभी एक मंच पर एक साथ नही आई आरक्षण के कारण अब दोनो वर्गो की स्त्रियॉ एक साथ पंचायतों की बैठकों में भाग ले रही है। महिलाओं के साथ सदियो से होता आया भेदभाव ,संसाधनों का अभाव ,राजनीति का अपराधीकरण द्वारा उपेक्षा, राजनीति में उनकी भागीदारी में मुख्य बाधाऐं रही।

पारम्परिक सामाजिक पृष्ठभूमि

पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण रखने के बाद कई प्रकार की शंकाऐं व्यक्त की गई उनके आरक्षण को सहजता से नही लिया गया। सबसे बढी समस्या पुरूषों के सामने यह थी कि 33 प्रतिशत सीटे महिलाओं को मिलेगी ता पुरूषों का अधिकार छिनेगा। सत्ता पर सदियो से चला आ रहा उनका एकाधिकार छिनता कोई भी पुरूष कैसे सहन कर सकता है। उसके पश्चात परूषों का यह तर्क भी महत्व रखता है यदि स्त्रियॉ सार्वजनिक कार्य करेगी तो बच्चो का लालन पालन कौन करेगा ? महिलाओं ने इस शंका समाधान बडी सहजता से किया है उनका कहना था कि हम सरपंच भी बनेगी और चुल्हा चौका भी संभालेगी। पुरूषों ने एक और रोडा अटकाने की कोशिश की पूर्व सरपंच प्रधानो ने चाहा कि यदि टिकट उन्हे नही मिलता तो घर की औरतो को ही मिले ताकि नेपेथ्य में रहकर वह अपनी हुकुमत चला सके, लोगो को यह आशंका थी कि महिलायें सरपंच तो बन जाऐगी पर वे स्वयं कुछ नही कर पायेगी और उनके पति ही वास्तविक सत्ता की डोर अपने हाथों में रखेगे निःसंदेह ऐसा कई जगहों पर भी हो रहा है अशिक्षित सरपंच पति व प्रधान पति का वर्चस्व चल रहा है। इस कारण विकास अधिकारियों तथा अन्य पंचायत कर्मियों के साथ उन तथाकथित सरपंचों की खीचतान चलती रहती है। और यह स्वाभाविक भी है। पर स्थितियॉ सदा एक सी रहने वाली नही है।

जानकारी का अभाव

सबसे बडी बाधा जो निर्वाचित महिलाओं को झेलनी पडी वह है जानकारी का अभाव नियमों से लेकर व्यवहारिक दुनिया दारी और पेचिदा मसलो से महिलाओं कों पहली बार सामना करना पड रहा है। उत्साह

की कमी नही ,पर यह जानकारी का अभाव ही है जो उन्हे किंकर्त्तव्यविमूढ किये हुये है। उन्हे मालुम नही कि अपना काम कहॉ किससे कैसे करवाना होगा ? इसी कारण कई जगहों पर ग्राम सेवक हावी हो रहे है क्योकि वे पुराने है और अनुभवी है। ऐसी स्थिति में आम लोगो में निराशा और अविश्वास का भाव उत्पन्न होने लगा है वे स्त्रियों की अयोग्यता और अक्षमता को सामान्य कारण मानने लगे है। जो घातक है। इस बाधा को दूर करने के लिए एक बार का प्रशिक्षण कारगर साबित नही हो सकता है हर साल रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाना चाहिये और इस कार्य में स्वयं सेवी संस्थाओं को भी जोडना चाहिये।

निरक्षरता

महिला हो अथवा पुरूष निरक्षरता किसी भी कार्य को समुचित ढंग से सम्पन्न करने में बाधा होती है निरक्षरता महिलाओं के लिए और भी दुखदायी है क्योकि उन्हे बाहरी दुनिया की जानकारी कम होती है इस निरक्षरता का लाभ पुरूषों ने उठाना चाहा और कई जगहो पर कदाचित ऐसा हो भी रहा है। परन्तु चौकाने वाला तथ्य यह कि कई स्थानो में महिलाओं ने बिना जाने कागज पर अगुंठा लगाकर साफ इन्कार कर दिया कि हमें पढना नही आता तो क्या हुआ ?आप पढकर सुनाये सही जानने पर ही हस्ताक्षर करेगे। यह कम हिम्मतवाला कार्य नही था निरक्षरता का कलंक धीरे धीरे मिट रहा है। साक्षरता के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। जब महिलाऐ यह निर्णय कर लेगी कि अनपढ होना वास्तव में हमारे लिये स्वतंत्र निर्णय लेने और अन्य काम काज करने में सबसे बढी बाधा है ,तो वे स्वेच्छा से पढने लिखने का विधिवत प्रयास करेगी। तब वे स्वयं पढने जायेगी।

परिवार के सदस्यों का विरोध

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओ की सक्रिय भागीदारी में परिवार के पुरूष सदस्यो का रूकावट पैदा करना बहुत बडी बाधा है। यह समस्या कम पढी लिखी या निरक्षर महिलाओं की ही नही है ज्यादा शिक्षित महिलाओं की भी ह ै परिवार के पुरूष उन्हे अन्य पुरूषों से सीधे बात करने से रोकते है ऐसी स्थिति में या तो महिलाऐ हथियार डाल देती है और पुरूषों से कहती है कि ठीक है वे ही करलें अथवा पॉिवार में कलह का सामना करती है परन्तु यह स्थिति भी अधिक दिन तक नही चलेगी। समन्वय और सामन्जस्य समय के साथ आता जायेगा इसके लिए महिलाओ में दृढता से कार्य करने की क्षमता और आत्म विश्वास पैदा करना होगा। स्थितियॉ स्वयं पैदा करनी होगी।

कुरीतियॉ

महिलाओं को अधेरे में रखने वाली और उन्हे मानसिक दृष्टि से संकुचित तथा आर्थिक रूपसे दयनीय बनाने वाली कुप्रथाऐं जैसे बाल विवाह ,पर्दाप्रथा ,अशिक्षा, आदि वर्षो से समाज में व्याप्त है ग्रामीण परिवारो में लडकी को पढाने के प्रति आज भी अधिक उत्साह नही है। उस पर लडकी का विवाह उसके सोचने समझने की उम्र आने से पहले ही कर देने के रिवाज ने महिलाओं के विकास की सम्भावनाओं को बहुत ही पीछे धकेल दिया है पारिवारिक दायित्व बढने से और साथ ही आर्थिक अभावो के रहते कोई भी स्त्री सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का सपना देखने से भी कतराती है अपने को अक्षम मान कर चलती है। राजस्थान की सैकडो महिला सरपंच अभी भी घुघट की ओट में पंचायत का काम काज सभांल रही है। कुछ पंचायतों में राजपूत महिलाऐं पुरूषों के साथ बैठक में बैठती ही नही ,अंगुठा दस्तखत करके बाहर से ही लौट जाती है सामन्तवादी तत्वो की बहुलता वाले गॉवो में यह दृश्य सामान्य है। यही स्थिति उन महिला सरपंचों के साथ भी है जो अशिक्षित है।जहॉ महिलाऐं पढी लिखी है वहा वे पुरूषों के मुकाबले अधिक अच्छा कार्य कर रही है। जनजाति की महिलाऐं अनपेक्षित रूपसे उत्कृष्ट कार्य सम्पादन कर रही है।

अध्ययन के दौरान निकल कर आयी समस्यांए

पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है किन्तु यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है कि विधान बनाने मात्र से बदलाव नही लाया जा सकता भारतीय समाज का ढॉचा इस प्रकार का है कि महिलाओं को हमेशा से ही दबा कर रखा जाता था। अतः निरक्षरता गरीबी तथा परम्परा के बंधनो को तोडना मुशकिल होते हुये भी जरूरी था। नवीन पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान में क्रियान्वयन के स्तर पर कई समस्याऐं उजागर हुई। वे निम्न है–

शिक्षा का अभाव

पंचायतीराज संस्थाओं में जो महिलायें सदस्य चुनकर आई ,उन्हे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है उनमें शिक्षा की कमी होने के कारण

(क) वे अपने अधिकारो और कर्तव्यों को सही ढंग से नही जान पाती।

(ख) निरक्षरता के कारण अधिकतर महिलाओं की भूमिका उनके परविार के अन्य सदस्यों के द्वारा निभायी जा रही है।

अज्ञानता के कारण भिन्न प्रकार के उदाहरण देखने में आये है। नई दिल्ली में आयोजित सामाजिक विज्ञान संस्थान नें महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस मनाया जिसमे मध्य प्रदेश से आयी एक पंच 'साधना पाठक ' ने बताया कि उनके प्रदेश में 1350 महिलाऐं भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों से घिरी है इसका कारण है निरक्षरता उन्होनें यह जाने बिना ही कि किस प्रस्ताव पर अगुठा लगाना है अंगुठा लगा दिया है। इस

प्रकार नारी शिक्षा के वर्तमान स्तर 23 प्रतिशत को यदि आधार मान लिया जाये तो स्पष्टतः वर्तमान अनुभवो में बडी संख्या में जो महिलायें चुनकर आयी है ,उनमें शिक्षा का स्तर काफी निम्न है।

प्रशिक्षण का अभाव

पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है इंदिरागॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय नें पंचायतीराज पदाधिकारियो के लिए सरल भाषा में साहित्य तैयार किया है जो जनता में पंचायतों के प्रति जागृति पैदा करने के लिए उत्कृष्ट है किन्तु इसे सभी स्तरो तक पहुचाने और कार्यकारी प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था का भी अभाव है।

स्थानीय दलालों की भूमिका

कही कही 3 स्थानीय दलालों ने महिलाओं के आरक्षण कम से कम वर्तमान में अक्षम कर दिया है। कही जगह यह देखा गया कि महिला प्रतिनिधी उस परिवार की थी जहॉ पुरूष पंचायत के नेता थे एक समस्या यह रही कि महिलाऐं खासकर ग्रामीण क्षेत्रो में अपने आप आगे आकर चुनाव नही लडना चाहती थी। यहॉ तक कि दलो के नेता ,सरकारी अधिकारी गॉवों के प्रधान इस बात से डरते थे कि महिलायें राजनीति में भाग लेने के लिए तब तक अनइच्छुक रहेगी जब तक उनके परिवार के बडे उन्हे अनुमति नही देते यह संभावना भी सत्य है कि यदि महिलाऐ पदो पर पहुचेगी भी तो पुरूष प्रधान समाज में पुरूषों के आदेश ,निरीक्षण तथा प्रतिनिधी के रूप में कार्य कर भी रहेगी।

महिला प्रतिनिधियो के प्रति होने वाली हिंसा

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण देखनें में आये है मध्य प्रदेश मे ंभिण्ड जिले के हरपुरा गॉव में एक महिला के दोनो हाथ तोड दिये गये थे।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो के साथ सिर्फ हिंसा की घटनाऐं ही नही यौन प्रताडना तथा सामुहिक बलात्कार के मामले भी प्रकाश में आते रहे है। उदाहरण के रूप में जयपुर जिले के बस्सी ब्लाक में साथिन भॅवरी के साथ बलात्कार किया गया। सलहोना गॉव की द्रोपती बाई को सरे आम बी डी ओ जिला रायगढ के सामने निर्वस्त्र किया गया था कुतरा पंचायत की एक महिला उप सरपंच बासमती बारा ने यह शिकायत की कि पंचायत मंत्री ने उसके साथ यौन दुराचार किया अनेक स्थानो पर महिला प्रतिनिधियो को जागरूकता दिखाने या शक्तियों का और अधिकारो के प्रति उत्सुकता दिखाने के कारण प्रताडनाओ और अपशब्दो का सामना करना पडा।

सामाजिक समस्याऐं

महिलाओं की सहभागिता से उत्पन्न अन्य समस्याओं में अभी भी यह धारणा समाज में व्याप्त है कि पंचायतों में स्थान आरक्षित करना बेमानी सिद्ध हुआ है। वे चुनकर तो आ गई पर उन्हे अपने विचार रखने का अधिकार नही है वे वही करेगी जो पुरूष चाहते है। बहुत कम महिलाऐं है जो मुखर होकर अपना पक्ष मजबूती से रखती है। अधिकांश महिलाओं को पंचायतों के विषय में कोई जानकारी नही है। उनके बदलें में उनके पति ही सब बात करते है बैठक में महिलाओं के साथ उनके पति आकर बोलतें है समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा पुराने रितिरिवाज रूढिवादिता के कारण महिलाऐं विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नही कर पा रही है।

पारिवारिक समस्याऐं

जिन महिला प्रतिनिधियों के परिवार में अधिक सदस्य है वे परिवार की देखभाल करने और घर का काम करने के कारण पंचायतों की बैठको में कम ही भाग ले पाती है साथ ही जिन महिला प्रतिनिधियों के परिवार में 5 एकड से अधिक खेती है,उन्हे कृषि कार्य से समय नही मिलने के कारण वे भी पंचायतों की बैठकों में भाग नही ले पाती है।

जाति व्यवस्था

कई गॉवों में जाति वाद आज भी है वहॉ अन्य महिला प्रतिनिधि जो सामान्य तथा उच्च वर्ग की पंच महिलायें है, पंचायतों की बैठकों में नही जाती उनका मानना है कि महिला सरपंच नीची जाति की है और नीची जाति की महिलाओं के साथ बैठनें उनका अपमान होगा।

वित्तीय व्यवस्था कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय समस्या की वजह से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृषि कार्य अथवा मजदूरी पर जाना पडता है। यदि पंचायतों की बैठकों में भाग लेगी तो परिवार के पालन पोषण की समस्या रहेगी।

महिलाओं की भागीदारी को कारगर बनाने के प्रयास एवं सुझाव

भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोपरी है ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। समस्याओं के निराकरण एवं पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावी बनाने हेतु किये गये प्रयास एवं सुझावों का विश्लेषण निम्न प्रकार से है–

महिलाओं को शिक्षित करना

पंचायतीराज में प्रतिनिधि को चुनने के लिए शिक्षा का मानदण्ड होना जरूरी है। इस हेतु सरकार को प्रोढ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को साक्षर करना चाहियें। ताकि वे पंचायत संबंधी कार्य आसानी से समझ सके। इसके अलावा केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा सरल भाषा में पुस्तिकाऐं प्रकाशित करनी चाहिये जिसे पढकर पंच आदि पंचायतो को चलाना सीखे। तथा दूसरे कौन कौनसे कानुनो से वास्ता पडता है ग्राम योजनाऐ कैसे बनाये, वित्त के स्रोत क्या है, कर कैसे लगाये, कैसे कर वसूल करे ,बैंक में खाता कैसे खोला जाये, लेखा कैसे रखे, बजट अनुमान कैसे बनाये, कौन सी सरकारी योजनाये लागु कर सकते है,ऊच नीच का भेदभव समाप्त करना ,उसके समाधान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना जो कमजोर दलित है उन्हे उपर उठाने का प्रयास ही पंचायती भावना है।महिलाओ को इन सभी बातो की जानकारी होना आवश्यक है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दस हजार रूपये प्रत्येक स्वयं सेवी संस्था को देने का प्रावधान रखा जाये, जो महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं में प्रत्याशियों को शिक्षित करने के कार्य में जुटे है।

उचित प्रशिक्षण

पंचायतीराज प्रणाली के विषय में महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण देना अनिवार्य है जो प्रतिवर्ष कम से कम दो बार हो। उन्हे अपने दायित्वों व अधिकारो का ज्ञान नही होता । प्रशिक्षण द्वारा उन्हे इन बातों की जानकारी हो सकेगी। राष्ट्रीय स्तर पर तीन बडे संस्थानो को प्रशिक्षण हेतु चुना गया है। प्रशिक्षण के मापदण्ड भी तैयार किये गये है जो भी प्रशिक्षण सामग्री तैयार होगा ,उसे राज्य स्तर पर राज्य विकास संस्थानों तथा प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जाऐगा । अनेक राज्यो जैसे कर्नाटक मे राज्य सरकार तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण तथा सरलीकरण कार्यक्रमों के जरिये अगुवाई की गयी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को पंचायतों से सम्बन्धित कानून की जानकारी देना आवश्यक है। उन्हे संविधान के 40 व 50 तथा नये संशोधन अधिनियम की जानकारी दी जानी चाहिये।साथ ही ऐसे कानूनो का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये। जिससे जिनका पंचायतों से प्रतिदिन वास्ता पडता है। राज्य सरकार व स्वयं सेवी संस्थायें इस कार्य कों अंजाम दे सकती है।

जागरूकता पैदा करना

पंचायतों में महलाओं की सहभागिता को प्रभावी बनाने के लिय यह आवश्यक है। कि उन्हे 73 वे संविधान संशोधन के बारे में जागरूक किया जाये अनेक महिला संगठन तथा सरकारी अभिकरण महिलाओं को जागरूक बनाने व चुनावों में आगे आनें के लिए प्रोत्साहित कर रहे है। इंडियन एसोसियेशन ऑफ वुमेन

स्टडीज ' ने देश भर में महिलाओं में जागरूकता पैदा करने का अभियान शुरू किया है।रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से जिले के दूर दराज के इलाको में पंचायत संबंधी सूचना दी जा सकती है। जिला प्रसारण केन्द्र इस प्रयास में सही भूमिका निभा सकते है।

सामाजिक एवं कानूनी संरक्षण

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के संबंध में सुरक्षा हेतु उपयुक्त नितियों, कानूनों और कार्यक्रमों को बनाना चहिये। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिए न केवल ठोस लक्ष्य निर्धारित करने होगे बल्कि उनको प्राप्त करने के लिये सभी प्रकार के संगठनात्मक प्रयास भी करने होगे। ऐसे अनेक स्वयं सेवी संगठन है पीडित महिलाओं की समस्याओं का अनेक प्रकार से समाधान करते है, इन स्वयं सेवी संगठनों का जितनी जल्दी हो सके प्रसार करना चाहिये। शोषण एवं अत्याचारों से पीडित महिलाओं हेतु ऐसे न्यायलयों की व्यवस्था होनी चाहिये जहॉ पर औपचारिकताऐं कम हो तथा अनौपचसरिकतापूर्ण वातावरण अधिक हो।

परिवार का सहयोग

परिवार का सहयोग का मतलब यह नही कि नये पंचायतीराज में महिलाओं को पंच व सरपंच तो बना दिया गया लेकिन उन्हे पंचायतों की बैठकों में जानें से रोका जाये। पंचायतों की बैठकों में परिवार के अन्य सदस्य (पति, भाई, बेटे)का जाना कोई सहयोग नही है। यदि परिवार का सहयोग सही मायनें में मिले तो महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी कारगर बन सकती है।

आर्थिक सहायता /मानदेय

परिवार के पालन पोषण हेतु कृषि कार्यो एवं मजदूरी में ग्रामीण महिलायें पुरूष के समान सहभागी होती है इस कारण पंचायतों के कार्यो में प्रतिनिधि चुने जाने के पश्चात अधिक प्रभावी भूमिका नही निभा पाती। इस हेतु सरकार उन्हे आर्थिक सहायता दे तो वे पंचायतों की बैठकों में भाग ले सकती है। परिवार के अन्य सदस्य भी उन्हे जाने से नही रोकेगे।

भेदभाव कम हो

जातिवाद के साथ साथ छुआछूत की भावना का अन्त भी होना चाहियें ताकि निम्न जाति की महिला प्रतिनिधि भी पंचायतीराज व्यवस्था में निर्भय होकर काम कर सके।

इस प्रकार इन सुझावों को व्यवहार में लाने के प्रयासों को क्रियान्वित करके नवीन पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के योगदान को सफल एवं प्रभावी बनाया जा सकता **है।**